

भारत के संविधान में प्रागे संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

*The motion was adopted.*

श्री प० ला० शंकरदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को पेश करता हूँ ।

14.34-½ hrs.

#### CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of article 370) by Shri  
Prakash Vir Shastri:

**Mr. Deputy-Speaker:** Bills for consideration—Shri Prakash Vir Shastri.

**Shri Sham Lal Saraf (Nominated—Jammu and Kashmir):** Regarding this Bill I have a motion. My motion is about the allotment of time.

**Mr. Deputy-Speaker:** Let the Member move it. Afterwards we will see.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (विजानोर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में प्रागे-संशोधन करने वाले बिल पर विचार किया जाये ।"

1014 (A) LSD—8.

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति से सम्बंधित भारतीय संविधान की धारा 370 हटा दी जाये और इस के हटने से संविधान में यदि कहीं कुछ व्यवस्था अपेक्षित हो, तो वह कर ली जाये, जब मैं इस विधेयक को पारित होने के लिए सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मेरी धारणाओं के सामने ये सारे दृश्य सिनेमा के चित्र-पट की तरह घूम रहे हैं कि कैसे सब से पहले पाकिस्तान ने 1947 में ~~कश्मीर~~ कश्मीर की धारा में काश्मीर में अपनी सेनाओं भेजी, कैसे महीनों तक वहाँ पर खून की नदियाँ बहती रही, कैसे भारतीय सेनाओं ने उनके दाँत चट्टे किए, कैसे बढ़ती हुई भारतीय सेनाओं को बीच में ही रोक कर भारत सरकार ने हिमालय जैसी भूल की, कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में न्याय-की-दून-मशीन-के चक्कर में ~~जु~~ हम फंसे और कैसे काश्मीर का ~~मु~~ मुस्ताफा बनने का स्वप्न देखने वाले शोध प्रश्नपुस्तिका को वहाँ का प्रधान मंत्री बनाया गया । दो जब्दों में अगर मैं अपनी सारी बातों को कहूँ, तो मैं सूँ कह सकता हूँ कि भारत के कुछ ऊँचे नेताओं की, जिन में से कुछ भ्रम नहीं हैं, अधूरव्यवस्था, राजनीतिक अकुशलता और व्यक्तिगत प्रश्न-बंधनों के कारण ही यह सारी स्थिति उत्पन्न हुई ।

सुना यह जाता है कि टोकर लगने के बाद मनुष्य की धारणा खल जाती है । परन्तु नहीं कहा जा सकता कि स्थिति के इतना विगड़ जाने के बाद भ्रम भारत सरकार का लक्षण होगी । एक अकेले सरकार बनाने-बाई पटेल खून की एक बूद पिगने बिना लगभग साढ़े पाँच सौ रिवाजों का बोझ ही समय में भारतवर्ष में जिलाय कर के चले गए, लेकिन वह इतनी बड़ी सरकार सख्त बचों के बाद भी एक जम्मू-काश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर पाई ।

अपने इस विधेयक को उपस्थित करते समय धारणा में एक चेतावनी भी सरकार को देना चाहता हूँ । पिछले सख्त बचों में ~~अ~~ अर्थों अपने और हजारों बचनों की ~~बा~~ बाकि

[श्री प्रकाशचौरी शास्त्री]

बेने के बाद भी सरकार के अनिश्चित मन के कारण यह समस्या लगातार बिगड़ती ही गई है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि जब बिगड़ने का भी अन्तिम छोर भी चुका है। यदि सरकार ने इस स्थिति को जल्दी न सम्भाला तो मेरा अनुमान है कि यह समस्या सरकार के हाथों से बाहर हो जायेगी और इसके लिए देश की अगली पीढ़ियाँ इस सरकार को कौसेंगी और इतिहास इस सरकार को कभी क्षमा नहीं कर सकेगा।

एक विशेष बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू-काश्मीर राज्य के वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री गुलाम मुहम्मद सादिक का चुनाव उस समय के अधिभागीय मंत्री और इस समय के प्रधान मंत्री, श्री साल बहादुर शास्त्री, की देख-रेख में हुआ था। प्रधान मंत्री बनने से पहले श्री सादिक ने, जो कि नेशनल काँग्रेस के उपाध्यक्ष थे, 28 नवम्बर, 1963 को अपने भाषण में यह कहा था कि काश्मीर राज्य में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस धारा 370 का तुरन्त हटाना बहुत जरूरी है। प्रधान मंत्री बनने के बाद भी 1 मार्च और 20 मई को दिल्ली में कांग्रेस की पालियामेंटरी पार्टी की मीटिंग में दो बार भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि यह धारा राज्य की प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही है और इसलिये इस को संविधान से अखिलम्ब हटा दिया जाये।

लेकिन जब कुछ दिनों से काश्मीर के वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री सादिक ने एक नई कलाबाजी शुरू की है। जब वह यह कहते हैं कि धारा 370 को हटाने के बजाये उस में कुछ आवश्यक संशोधन कर लिये जायें और उस के लिए वह कानून के विशेषज्ञों की राय लेंगे, श्री सादिक की इस कलाबाजी से और हमारे प्रधान मंत्री, श्री शास्त्री, की बुद्धि से देश में तरह तरह के प्रश्न लगाए जा रहे हैं। होना यह चाहिए कि शास्त्री जी ने जिस तरह अपने प्रभाव का उपयोग करके श्री सादिक को प्रधान मंत्री बनवाया, उसी तरह वह

अपने प्रभाव का उपयोग इस संविधान की धारा 370 को अखिलम्ब हटाने के लिए करें।

संविधान में धारा 370 को रखते समय संविधान सभा में श्री गोपालस्वामी प्रधान ने यह आश्वासन दिया था कि यह धारा बहुत जल्दी हट जायेगी। उस के बाद हमारे पहले प्रधान मंत्री, श्री नेहरू ने कई बार अपने भाषणों में और लोक-सभा में यह कहा कि धारा 370 बहुत कुछ बिस बकी है और जो जेब रह गई है, वह भी धीरे धीरे बिस जायेगी। काश्मीर की संविधान सभा तो अपना स्पष्ट निर्णय कर ही चुकी है। इन तीनों के आश्वासनों और निर्णयों के बाद भी मैं नहीं समझ पाता कि संविधान की पवित्रता को नष्ट करने के लिए भारत सरकार ने अभी तक इस धारा 370 को क्यों रखा हुआ है।

इस धारा की पृष्ठभूमि के सम्बंध में भी मैं कुछ संकेत देना चाहूंगा। जब संविधान सभा में यह धारा उपस्थित की जाने लगी, तो उस समय एक बात धाई और वह यह कि चूंकि जम्मू-काश्मीर राज्य का भारतवर्ष में विलय उसी प्रकार से हुआ था, जिस प्रकार कि दूसरे देशी राज्यों का हुआ था और उसी प्रकार विलय पत्र पर महाराजा हरिसिंहके हस्ताक्षर हुए थे, तो इस को दृष्टि में रखते हुए संविधान सभा के एक सदस्य, श्री हसरत मोहंता—ने श्री गोपालस्वामी प्रधान से यह पूछा कि जब जम्मू-काश्मीर राज्य का विलय दूसरे देशी राज्यों की तरह हुआ है और उसी प्रकार विलयपत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उसके लिए इस तरह की विशेष व्यवस्था क्यों की जा रही है। श्री गोपालस्वामी प्रधान ने उस समय जो जबाब दिये, उनमें मैं विस्तार से नहीं जाता, लेकिन उन्होंने जो मुख्य कारण बताया, वह मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने यह कही कि जम्मू-काश्मीर राज्य के ऊपर एक सशक्त आक्रमण हुआ है। जो अभी तक जारी है और राज्य

की स्थिति अभी तक असामान्य बनी हुई है तथा राज्य के भीतर युद्ध चल रहा है, इस लिए असामान्य स्थिति में राज्य का प्रशासन-तंत्र भी असामान्य ढंग से ही चलाया जाना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्न को ले जा कर उलझ गये हैं और नहीं कहा जा सकता कि अभी हमें कितनी देर और उससे रहना पड़ेगा।

लेकिन एक विशेष बात जो श्री गोपाल स्वामी सम्मन्त्र ने कही थी उस को मैं उनके ही शब्दों में हिन्दी में धापको मुना देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था :

“हमने यह भी मान लिया है कि एक संविधान सभा द्वारा जनता की इच्छा से राज्य का संविधान निश्चित किया जाए तथा राज्य पर संघ के क्षेत्राधिकार की सीमा भी निश्चित की जाए। जब तक संविधान सभा स्थापित नहीं होती तब तक अन्तर्वर्ती प्रबंध ही हो सकता है।”

श्री गोपाल स्वामी सम्मन्त्र जब अपना भाषण समाप्त करने लगे तो इस धारा के सम्बंध में उन्होंने कहा कि वह धारा जब संविधान से हटाई जाएगी। इसका भी उन्होंने विवेक दिया था। उन्हीं के शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ :

“जब राज्य की संविधान सभा बैठ जाए और राज्य के संविधान के लिए तथा राज्य पर फेडरल क्षेत्राधिकार की सीमा के सम्बंध में अपना निश्चय कर चुके तो इस संविधान सभा की विफारिस पर राष्ट्र-पति एक आदेश निकालेंगे कि वह अगस्त 306 (जो

धारा 370 है) या तो प्रवृत्त न रहेगा अथवा केवल ऐसे प्रस्तावों को ही प्रवृत्त होगा जो राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किये गये हों।”

मैं नहीं समझता कि जब संविधान सभा बन चुकी और संविधान सभा अपना निश्चय भी दे चुकी तो श्री गोपाल स्वामी सम्मन्त्र द्वारा दिये गये आश्वासन के आधारे पर जो धारा 370 वर्ष पहले संविधान से हट जानी चाहिये थी वह 1964 तक अभी भी भारत के संविधान में क्यों लगी हुई है।

जम्मू-काश्मीर के लोगों ने जो अपना संविधान बनाया उस संविधान में एक विशेष बात उन्होंने यह की। जैसे प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कभी कहा था कि वहाँ के लोगों की राय जानी जाएगी। इस संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिखे हुए हैं, जो जम्मू तथा काश्मीर का संविधान है, उस में :—

“हम जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोग इस राज्य के भारत के साथ विलय के जो 26 अक्टूबर, 1947 को हुआ था, अनुसरण में इस राज्य की भारत संघ के साथ उसके एक अविभक्त अंग के रूप में वर्तमान सम्बंधों की प्रागे परिभाषा करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं।”

ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं कि पहले जब विलयपर हस्ताक्षर हुए थे वे जम्मू तथा काश्मीर के महाराजा के हुए थे लेकिन संविधान सभा का जो निर्णय है, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि “हम जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोग” इस तरह उनकी राय भी जान ली गई।

(श्री प्रकाशचंदर शास्त्री)

(9) इसके बाद फिर एक धारा जो उन्होंने अपनी संविधान में रखी वह धारा 3 है। जम्मू-काश्मीर के संविधान की इस धारा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है :

“जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा।”

अंगों के लिए भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिख दिया है। लेकिन इनका होने पर भी मालूम पड़ता है कि जम्मू-काश्मीर राज्य की संविधान सभा और भारत के निकट आना चाहती थी। उन्होंने अपने संविधान में एक धारा 147 भी रखी और इस धारा में जहाँ उन्होंने यह व्यवस्था की कि अगर संविधान में विधान मंडल कोई संशोधन करना चाहेगा या इसकी धाराओं में कोई परिवर्तन चाहेगा तो उसके लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा और फिर इस तरह से संसद की स्वीकृति भी आवश्यक होगी, लेकिन इस सब के साथ साथ संविधान सभा ने एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी और कह दिया कि :

“संविधान की धारा 3 और 5 के उपबन्धों अथवा भारतीय संविधान के उपबंधों जैसे कि वह उस राज्य में लागू होते हैं, में परिवर्तन करने वाला कोई भी विधेयक अथवा संशोधन विधान मंडल की किसी भी सभा में पेश अथवा पुरःस्थापित नहीं किया जा सकेगा।”

उन्होंने कह दिया कि धारा 3 और धारा 5 जिसमें राज्य के लिये भारतीय संसद को विधेयक बनाने का अधिकार दिया गया है, उसमें परिवर्तन का अधिकार भी विधान मंडल को नहीं होगा। दूसरे यह भारत के उच्च अधिकार क्षेत्र,

(घोवर-लार्डशिप) को भी उन्होंने अपने संविधान में सुरक्षित रखा। जब उन्होंने यह कहा कि संसद को खाली विधेयक बनाने का अधिकार है साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि वहाँ हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा और उन जजों को हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जज भारतीय संघ का कोई नागरिक ही होगा। और भी बहुत सी व्यवस्थाएँ की जिन से प्रतीत होता है कि उन्होंने भारत के सर्वोच्च अधिकार को स्वीकार किया है।

अच्छा तो यही था, जमे मैंने पहले कहा है कि घाट बंध पहले जब संविधान सभा अपना निर्णय कर चुकी, उस समय इस धारा को हटा दिया जाता लेकिन नहीं कहा जा सकता कि क्यों भारत सरकार जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को छाती में बिपटाये फिरती रहती है, उसी तरह से घाट मान से इस धारा को क्यों संविधान में लगा कर रखे हुए हैं।

इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ? सब से बड़ा दुष्परिणाम तो यह है कि पाकिस्तान आज हिन्दुस्तान के खिलाफ दूसरे देशों में न जाने किस किस प्रकार से विष उगल रहा है। दूसरे दुनियाँ के अन्दर से देश जो हमारे संविधान को नहीं जानते हैं या जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में उनके मनों में भी सन्देह होने लग गया है कि कहीं वास्तव में अस्थायीपन तो नहीं है जैसे पाकिस्तान की सरकार कहती है। तीसरा सब से बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जम्मू-काश्मीर की जनता के मन में भी अस्थिरता फैलती है कि कहीं ऐसा न हो कि यह स्थिति घामे चल कर कभी बचल जाए। 370 धारा को रखने का चौथा दुष्परिणाम यह है कि जम्मू काश्मीर के अन्दर श्रेष्ठ अम्बुस्ता और उनके जैसे दूसरे लोग भी अब यह आवाज लगाने लग गये हैं कि जनता की राय जानी जाए। प्लेबेसाइट कंट बहाँ पर बना है। जनमत के लिए वह बहुत आतुर है। जो लोग

वहाँ राम जानने के लिए बहुत धातुर हैं, उन में से तीन पक्ष विभेद हैं जिन का मैं नाम बता रहा हूँ ।

पहला पक्ष पाकिस्तान है, दूसरा पक्ष ब्रिटेन, अमरीका और उनके जो सम्बंधक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठते हैं, वह है । तीसरा पक्ष मेक प्रेसदुला और उनका प्लेबेसाइट फ्रंट अर्थात् जनमतसंग्रह मोर्चा है । जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बंध है, बड़ी स्पष्ट सी भाषा में मैं कहना चाहता हूँ कि पतः नहीं भारत सरकार आज तक इस बात को क्यों नहीं कहती है कि पाकिस्तान, काश्मीर और भारत के सम्बंध में यह जो बात चल रही है, इसके बीच में कोई पार्टी किसी प्रकार से नहीं बन सकती है । ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट के अनुसार काश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ बिलब पत्र पर हस्ताक्षर किये थे । पाकिस्तान के साथ उनकी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई । जम्मू-काश्मीर की जनता की जो सब से बड़ी पार्टी है नेशनल काँग्रेस, वह भी हमारे पास "जम्मू-काश्मीर को बचाओ" वह आग्रह से कर आई थी । पाकिस्तान के पास नेशनल काँग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया । तीसरी बात यह है कि जम्मू काश्मीर की संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है, उसका निर्णय भी भारत के पक्ष में है ऐसी स्थिति में पाकिस्तान पार्टी कहा बनाता है ? कैसे वह बीच में एक किराये का चौधरी बन कर खड़ा हो सकता है । दो घावमियों के बीच में बात हो रही है तीसरा भा कर खड़ा हो गया उन्होंने कहा, आप कौन हैं ? उसने कहा मैं खाम खाह । जो पाकिस्तान की स्थिति है वह भारत सरकार को दुनिया को स्पष्ट भाषा में बता देनी चाहिये । यह हमारे घर का भ्रदरूनी मामला है पाकिस्तान बीच में दखल देने वाला कोई नहीं है । अगर पाकिस्तान केवल यह कहे कि काश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इसका

मतलब तो यह हुआ कि कनाडा कल को यहाँ मांग करके लग जावे कि अमरीका का वह भाग जो उनके साथ लगा हुआ है और जहाँ पर रोमन कैथोलिक ज्यादा हैं, इन्होंने वह कनाडा को वापिस मिल जाना चाहिये । इस प्रकार की दलील दे कर पाकिस्तान जनता को और दुनिया को गुमराह करना चाहता है । भारत सरकार इसका भी निराकरण कर सकती है ।

दूसरा पक्ष जो जनमत संग्रह के लिए बहुत धातुर है वह ब्रिटेन है । ब्रिटेन के सम्बंध में एक बात मैं कहना चाहता हूँ । इंग्लैंड जहाँ जहाँ से भी हट कर गया है वहाँ वहाँ वह कुछ कड़वी बावगारे छोड़ गया है । भारतवर्ष में भी पाकिस्तान इंग्लैंड की उन्नी प्रकार की कड़वी यादगार है । अभी हम उसके पूरी तरह से नहीं मुक्त पावे थे कि काश्मीर को इंग्लैंड ने अपना दूसरा हथियार बनाया शुरू कर दिया । लेकिन इंग्लैंड से भारत सरकार को ताफ कह देना चाहिये सामान्य शिष्टाचार के नाते कि हम तुम्हारे पीले रंगे रंगे खाल के पिछले खूनी इतिहास को भूलना चाहते थे लेकिन अगर इसी प्रकार की कठिनाइयाँ तुम्हारी रगेंगी और हमारे कंधे चाव में ठोकर मार मार कर इसी तरह से खून निकालते रहोगे तो हिन्दुस्तान की अगली पीढ़ियाँ तुम्हारे साथ रिस्ता रखना तो दूर, तुम्हारा नाम लेना भी पसन्द नहीं करेंगी ।

दूसरी चीज 1935 के गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट के बारे में है जिस में संशोधन करके देशी रियासत हिन्दुस्तान में मिली थी । ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये अपने जब्द हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ । ये मेरे जब्द नहीं हैं :

"किसी राज्य के तत्कालीन शासक द्वारा निष्पादित प्रवेस-संश्लेष के अनुसार उस राज्य का भारत संघ में विभय पूर्णतः अतिथि होगा ।"

[श्री प्रकाशचंद्र शास्त्री]

यानी राज्यों के शासकों को बिलय का अधिकार दिया गया है इसका न कि किसी राज्य की प्रजा को। आज अंगरेजों का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ कर अपने ही एजेंट का विरोध करता है और कहता है कि जम्मू-काश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिये और एक एक व्यक्ति की राय ली जानी चाहिये, तब मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की राय जम्मू-काश्मीर में क्यों ली जाए, कल को अंगरेज हिन्दुस्तान की बाकी साढ़े पाच सौ रियासतें कहती हैं कि हमारे अन्दर भी राय ली जाए तब हमारे राज्यों को भारतीय संघ में मिलाया जाए, तो क्या ब्रिटेन का प्रतिनिधि इस बात को भी स्वीकार करेगा? अंगरेज स्वीकार करेगा तो देशी राज्यों के बाद फिर ब्रिटिश भारत का नम्बर आता है, राबलपिंडी से लेकर कन्या कुमारी ममत, सारे पुराने भारत का नम्बर आता है। तब पुराने हिन्दुस्तान की जनता की मांग यह होगी कि हिन्दुस्तान के नेताओं ने देश विभाजन स्वीकार करते समय हमारी राय नहीं ली, ये अंगरेजों के चक्कर में घा गए जिस से देश का विभाजन करना पड़ा और अब राय ली जानी चाहिये कि पाकिस्तान का अस्तित्व माना जाय—या नहीं? इस प्रकार की स्थिति पर ब्रिटेन जाना चाहेगा क्या?

जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, कुछ बातें कहना चाहता हूँ। 1948 में जब पहला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास हुआ था उस समय अमरीका का रुख बड़ा स्पष्ट था। उसने स्पष्ट भावना में कहा था कि पाकिस्तान की सेनाओं को काश्मीर की धरती खाली कर देनी चाहिये, स्थिति को सामान्य बनाना चाहिये। उसके बाद जब कुछ सैनिक नष्टबधन हुए, सीएटो और सीटो बगैरह बने, उसके बाद से अमरीका ने पाकिस्तान को समर्थन देना आरम्भ किया और लोगों से कान में कह दिया कि कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए हम को कोई न कोई देश साथ लेना जरूर पड़ेगा। अंगरेज कम्युनिज्म का

मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को साथ लेने के लिए इस तरह से काश्मीर की समस्या को अमरीका प्रयोग करना चाहता है तो हम को उस से भी मुंह खोल कर कह देना चाहिये और उसको कान खोल कर सुन लेना चाहिये कि भारतवर्ष आज भी तानाशाही के खिलाफ है, हिन्दुस्तान की जनता आज भी लोकतंत्र में विश्वास करती है लेकिन अंगरेज अमरीका कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए इस तरह से पाकिस्तान को साथ देगा तो मेरा भयना कहना है कि भारतीय जनता के हृदयों से वह अपने प्रति सहानुभूति खो देगा। जब भी जनमत संग्रह करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव आए, ब्रिटेन और अमरीका से पूरी कोशिश करके उनको पास करवाना चाहिए लेकिन रूस के वीटो प्राधिकार, जो हमारी रक्षा की है, उससे भारतीय जनता के हृदयों में उस के प्रति एक अनुकूल भावना जयने लगी है। अमरीका के समझदार आदमी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। एक लोक तन्त्री परम्परा का देश और तानाशाह देश हमारा इस प्रकार से साथ देता है इस बीच को उन को समझना चाहिये।

दूसरी सबसे बड़ी का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में अब काश्मीर का सवाल आये तो हम को कहना चाहिये, हमारे गृह-मंत्री श्री नन्दा जब अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजें तो इस बात को वहां कहें, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के सम्बन्ध में केवल एक ही बात है, और वह यह कि काश्मीर का जितना हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है वह संयुक्त राष्ट्र संघ बिना किसी प्रकार का उपद्रव के हम को वापस दिलाता है, या हिन्दुस्तान को अपने सैन्यबल से उसे वापस लेना पड़ेगा। और कोई मामला अब संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं है। केवल इतना प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में है कि इस बीच हमको बिना किसी प्रकार सैन्यबल प्रयोग के नहीं मिलती है तो हम सैनिक बल से उसे लेंगे।

बाकी सारी काश्मीर की समस्या का समाधान तो सन् 1956 में हो चुका है कि वहाँ का संविधान बन चुका है और इस प्रकार स्थिति सुदृढ़ हुई। लेकिन इतने पर भी यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना रुख नहीं बदलता, ब्रिटेन और अमरीका अपनी भावनाओं में परिवर्तन नहीं करते, तो मैं भारत सरकार से फिर कहूंगा कि भारत सरकार को न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना केस वापस ले लेना चाहिये बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से भी हम को वापस भा जाना चाहिये। जो राष्ट्र आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है क्या वे अच्छी प्रकार से अपना शासन तंत्र नहीं चला रहे हैं। आज क्या स्थिति वहाँ हमारी हो गई है। जिस जगह पर हमलावर को संरक्षण दिया जाता हो क्या वह न्याय-पालिका हो सकती है। इस प्रकार की संस्था से हिन्दुस्तान की जनता ऊबती चली जा रही है।

तीसरा पक्ष जो रह जाता है वह है शेष साइब और उन का प्लेबिसाइट फ्रंट। उन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हाल में इस फ्रंट ने एक क्लाइट पेपर निकाला है। मैं नहीं जानता कि वह क्लाइट पेपर अभी तक आप के पास पहुँचा या नहीं। लेकिन उस क्लाइट पेपर में उन्होंने भारत के संविधान और जम्मू-काश्मीर के संविधान को चुनौती दी है। उन दोनों संविधानों को चुनौती देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि न केवल धारा 370 अस्थायी है, बल्कि काश्मीर का विलय भी अस्थायी है, काश्मीर का कोई विलय नहीं हुआ। दूसरी बात ये करते हैं कि जम्मू काश्मीर की संविधान सभा ने जो निर्णय लिये हैं उन का कोई विशेष महत्व नहीं है, तीसरी बात यह है कि जम्मू काश्मीर के भाग्य का निर्णय धकेले भारत बैठ कर नहीं कर सकता, भारत और पाकिस्तान दोनों को करना चाहिये। जहाँ तक धारा 370 का सम्बन्ध है मैं स्वयं इस

बात को कहता हूँ कि वह अस्थायी है। संविधान सभा बनी उस ने अपना निर्णय ले लिया। सरकार को उसे उसी समय समाप्त कर देना चाहिये था। उस को रद्द कर इसमें सन्देह पैदा किया जा रहा है, लेकिन उस के अस्थायी होने से और जम्मू और काश्मीर का भारत विलय भी अस्थायी है, यह क़ैदे कहा जा सकता है। जम्मू और काश्मीर के भारत के साथ विलय की धारा 370 नहीं है। जम्मू और काश्मीर के भारत के साथ विलय के सम्बन्ध में हमारे संविधान की धारा 9 है, जिस में भारत संघ का क्षेत्र बतलाया गया है कि भारत संघ कहाँ कहीं तक है। उस में जम्मू और काश्मीर का पूरा राज्य भा जाता है। धारा 370 का उस से सम्बन्ध कहीं बैठता है। जहाँ तक अस्थायी विलय की बात कही जाती है अस्थायी विलय की भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान में ही यह व्यवस्था नहीं, यही बात नहीं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है उस में भी अस्थायी विलय की कोई व्यवस्था नहीं है, जम्मू और काश्मीर के संविधान में भी अस्थायी विलय की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अस्थायी विलय की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है तो जम्मू और काश्मीर का जो विलय हुआ है वह पूर्ण हुआ है, उस में कोई छूट नहीं है।

यहाँ एक बात मैं जनमत संग्रह के विषय में कहूँ। इस सम्बन्ध में साईं माउंट-बैटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ आश्वासनों की बात कही जाती है कि साईं माउंटबैटन ने जम्मू और काश्मीर के महाराजा को विलयपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद एक चिट्ठी साथ साथ लिखी थी कि जम्मू और काश्मीर के लोगों की राय जानी जायेगी। नेहरू जी ने एक दो बार कह दिया कि वहाँ के लोगों की राय जानी जायेगी, गोपालस्वामी धार्यगर ने कह दिया कि ऐसा ही किया जायेगा

[श्री प्रकाशचौर साहसी]

लेकिन एक होता है कानून और एक होती है राजनीतिक भाषाशा, पोलिटिकल विज्ञान, पोलिटिकल विज्ञान जो है वह कभी भी कानून नहीं मानी जा सकती है। साईं माउंटबैटन का कहना, पंडित जवाहर-लाल नेहरू का कहना व गोंपालस्वामी भायंगर का कहना जो है वह पोलिटिकल विज्ञान है, वह देश का कानून नहीं। देश के वा जम्मू-काश्मीर के कानून में कोई व्यवस्था नहीं पर नहीं है कि जम्मू और काश्मीर में जनमत लिया जाये। जहाँ तक जनमत लेने का सवाल है, जनमत का क्या अधिप्राय होता है। जनमत का अधिप्राय क्या यह है कि जब भारतीय संविधान बना तो देश के ४४ करोड़ लोगों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या कर राय ली जाय वा उनके चमे हुए प्रतिनिधि को बैठे हुये हैं उन से राय ली जाये। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह है :

“बी वि पीपल थाफ इविवा ”

अर्थात् जब भारतीय नागरिक, वह नहीं है कि जब पांच सी मेम्बर जो संविधान सभा में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से जम्मू और काश्मीर के संविधान में लिखा हुआ है :

“बी वि पीपल थाफ जम्मू ऐंड काश्मीर”

इस तरह जम्मू और काश्मीर के लोगों की राय भी हो गई। इसमें रामभुवारी की बात कहां रह जाती है। अब शेष साहब ने कहा कि चूंकि मैं बीच में गिरफ्तार हो गया था इसलिये उस संविधान सभा का कोई महत्व नहीं। इस पार्लियामेंट के न जाने किसने मेम्बर गिरफ्तार होते रहते हैं लेकिन जो कानून बनते हैं क्या उन पर इस के कोई प्रभाव पड़ जायेगा। कोई धारमी बहां रहता है या नहीं, इस से कानून पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो शेष साहब का भाषण उन्हीं के शब्दों में सुनाना चाहता हूँ। जब बहां की संविधान सभा का उद्घाटन होने लगा तो 8 नवम्बर, 1951 को शेष साहब ने कहा :

“अन्त में वह सभा चारों उपायों पर जिनका वर्णन मैं बाद में कल्या पूरी तरह विचार करके प्रवेश करते के तिलचिन्ने में अपने मुक्तिवुक्त निर्णय की घोषणा करेगी।”

वे चार बातें कौन थीं। एक तो वह कि जो जम्मू और काश्मीर का राजा है उसकी कानूनी स्थिति क्या होनी चाहिये, दूसरी बात यह कि जमींदारी प्रथा को कैसे समाप्त किया जाये और उसका कम्पेन्सेशन कैसे दिया जाये, तीसरी बात भारतीय संघ में बिलय और चौथी बात की राज्य का शासन चलाने के लिये कौनसे विधान सभा बनवाई जाये और उस को क्या क्या अधिकार दिये जायें।

अब यदि वह कहते हैं कि संविधान सभा महत्वहीन है तो उस के महत्वहीन होने का क्या बड़ मतलब है कि उस के निर्णय भी महत्वहीन हैं। जब निर्णय महत्वहीन हैं तो दूसरे शब्दों में जम्मू और काश्मीर का जो राजा है, जिस का सुपुत्र बहां पर सदेर रिवाजत है और बहां के प्रमुख-अधिकारी हैं, उन के बीच में न संविधान सभा आती है और न विधान सभा आती है। तो शेष साहब इस स्थिति को क्या पसन्द करेंगे।

18 जून, 1948 को शेष शम्भुल्ला का एक भाषण हुआ था। मैं उन के शब्दों को ही पढ़ कर सुनाता हूँ :

“जम्मू और काश्मीर की जनता ने अपनी किस्मत भारत की जनता के साथ, बकरी जोश में या नाउम्मीद हो कर नहीं, पूरी तरह मोक्ष समझ कर जोड़ी है। हिन्दुस्तान के साथ हमारी

जिन्दगी घोर मौत जुह चुकी है। कोई ताकत अब हमें उससे जुबा नहीं कर सकती।”

यह श्रेष्ठ अब्दुल्ला का उन समय का भाषण था। आज यह यह कहते हैं कि काश्मीर के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों को बराबर बैठ कर विचार्य करना चाहिये। यही श्रेष्ठ अब्दुल्ला पहले पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्या राय रखते थे यह मैं अपने शब्दों में कहने के बजाय श्रेष्ठ अब्दुल्ला के शब्दों में कहना चाहता हूँ। अब जम्मू काश्मीर पर हमला हो चुका तो 18 नवम्बर, 1947 को उन्होंने जो भाषण दिया उस में उन्होंने कहा :

“जो लोग पाकिस्तानी हमलावरों को काश्मीरी जनता के उद्धारक की संज्ञा देते हैं वे बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। उन्होंने हजाराओं की ताबाद में अपने मौत के घाट उतार दिए, औरतों के साथ बलात्कार किया। हर चीज और हर व्यक्ति को उन्होंने लूटा। यहाँ तक कि पब्लिक कुतान का भी उन्होंने अपमान किया और महिलाओं को दुराचार के चकचको में बदल दिया।”

यह श्रेष्ठ अब्दुल्ला का भाषण था जो उन्होंने 18 नवम्बर, 1947 को दिया था और आज यह पाकिस्तान को भारत के बराबर रखना चाहते हैं। लेकिन ज़ायद यह चीज उन्होंने भारत के अन्दर होने के कारण कही हो और किसी बजह से कही हो। मैं एक उदाहरण और भी देना चाहता हूँ। एक बार श्रेष्ठ अब्दुल्ला सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधि बन कर गये। 5 फरवरी, 1948 को श्रेष्ठ साहब ने जो भाषण यहाँ

दिया उस के शब्द मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ कर सुनना चाहता हूँ :

“We would prove before the Security Council that Kashmir and the people of Kashmir have lawfully and constitutionally acceded to the Dominion of India. and Pakistan has no right to question the accession.”

यह उन्होंने यहाँ पर कहा था कि पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार इस किलब को चुनौती दे। यही श्रेष्ठ अब्दुल्ला आज यह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिल कर, बराबर बैठ कर काश्मीर समस्या का समाधान करें।

सबल बात यह है कि श्रेष्ठ अब्दुल्ला की नब्ज पहचानने वाला एक ही व्यक्ति था जिस का नाम था सरदार वल्लभभाई पटेल और जिस ने यह कहा था कि यह व्यक्ति कभी हिन्दुस्तान का बफादार नहीं हो सकता। पंडित जी के प्रति मेरी हादिक श्रद्धा है, लेकिन आज आप मुझे यह कहने की आज्ञा दीजिये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्त तक श्रेष्ठ अब्दुल्ला को पहचाना नहीं, उस को समझा नहीं। अरिचाम यह बुझा कि इस प्रकार की स्थिति बची। अभी जब श्रेष्ठ अब्दुल्ला जेल से छूटे तो मैं ने शास्त्री जी से पूछा कि आप अब्दुल्ला को छोड़ रहे हैं या काश्मीर को छोड़ रहे हैं। वे आज इस तरह के भाषण दे रहे हैं। क्यों नहीं उन के भाषणों पर नियंत्रण रखा जाता। तो शास्त्री जी ने, जो उस समय बिना विभाग के मंत्री थे, कहा कि हिन्दुस्तान में बोलने के लिये आजादी हम ने दी हुई है लेकिन बोलने की आजादी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई आरवी हिन्दुस्तान से अलग होने के सम्बन्ध में आन्दोलन करे और उसे इन प्रकार का प्रबसर दिया जाये। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्री जी ने:

[श्री प्रकाशचंद्र शास्त्री]

कभी जाना नहीं कि शेख अब्दुल्ला किस तरह का आन्दोलन चलाने जा रहे हैं। एक प्रखबार श्रीनगर से निकलता है जिस का नाम है "महाज"। जब सन् 1953 में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए उस के बाद जो ईद घाने वाली थी, उस ईद पर वे रेडियो स्टेशन से एक भाषण ब्राडकास्ट करने वाले थे, लेकिन चूकि ईद से पहिले वे गिरफ्तार हो गये इसलिये वह भाषण नहीं दे सके। अब उस सारे भाषण को उन्होंने उस "महाज" प्रखबार को दिया है। भाष्य वह भाषण मेरे पास है लेकिन अमयाभाव के कारण मैं उसे पढ़ कर सुना नहीं सकता। उस में अब्दुल्ला ने यह कहा कि जम्मू और काश्मीर की जनता हिन्दुस्तान के साथ नहीं रह सकती। इस प्रकार का भाव उसमें दर्शित किया गया है। उस वक्त एक चिट्ठी मौलाना आजाद ने उस को लिखी थी कि तुम क्यों ऐसी गलती कर रहे हो। मौलाना आजाद ने जो चिट्ठी लिखी वह कांक्रिडेशनल थी लेकिन उस ने उस चिट्ठी को और उसके उत्तर को भी "महाज" प्रखबार में प्रकाशित किया है। उसमें उस ने लिखा है कि मैंने मौलाना साहब को लिखा था कि काश्मीर की जनता खुद फैसला करेगी। मेरा खयाल है कि मौलाना आजाद की इडिया विन्स फ्रीडम नाम की किताब के जो बाकी 30 पेज हैं, जो कि अभी मुहरबन्द हैं, उन में शेख अब्दुल्ला ने किस प्रकार हिन्दुस्तान के साथ यह सारी बातें कीं, इस सब का कोई न कोई विवरण अवश्य उसमें होगा और भारत सरकार के नेताओं ने किस प्रकार से उस बक्कर में धा कर व्यवहार किया यह भी अवश्य कुछ न कुछ होगी। लेकिन मैं तो हीरान हूँ कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद और सालों उस पर मुकदमा चलाने के बाद भारत सरकार ने कौन सी अवसमन्दी की कि उस केस को वापस ले लिया। अगर जेल से बाहर निकालना

ही था तो पहले केस का निर्णय करा देना चाहिये था ताकि मालूम होता कि अब वह निकल कर क्या कहता है। उसको, उस गेरे काश्मीर को घापने कुछ दिनों कटघरे में रख कर छोड़ तो दिया लेकिन अब घाप देखें वह क्या कहता है। उसने नेहरू जी को उनके जीवन काल में ही चैलेंज किया। मैं उसके घापने शब्द घापके सामने रखता हूँ। उसने कहा :

"नेहरू जी का यह कहना बेबुनियाद है कि काश्मीरी आवाज की राय जानी जा चुकी है, हिन्दुस्तान ने जल्दी ही रायजुमारी का कोई फैसला अगर न किया तो हमें अपना फैसला करने के लिये खुद कदम उठाने पड़ेंगे। सेना की बन्दूकों की नोक से देर तक किसी को दबा कर नहीं रखा जा सकता।"

15 hrs.

अब घाप बताएं कि यह खुले घाम विद्रोह है या नहीं। इसी 'महाज' प्रखबार में उसने कौम के नाम एक पैगाम देते हुए ये शब्द लिखे हैं :

"आज भी काश्मीर के हम लाखों आशियन्दे अपने इस बुनियादी नारे के अजीम मिशन को घागे बढ़ा रहे हैं कि यह मुल्क हमारा है और हम इस का फैसला करेंगे।"

नन्दा जी देखें कि व वाक्य "आर्यासत नहीं कहता—बल्कि अपना मुल्क क़ता है और कहता है कि हम उसका फैसला करेंगे। उसने घागे कहा है :

"सूरज पूरब से पश्चिम में निकल सकता है लेकिन रायजुमारी नहीं रोकी जा सकती।"

वे शब्द हैं शेख अब्दुल्ला के।

शब्द में भारत सरकार से दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सरकार की डांबाडोल नीति के कारण लोग जगह जगह वह सोचने लगे हैं कि सरकार भी इस प्रकार के निर्णय लेने जा रही है उसमें कहां तक बुद्धिमत्ता है। दूसरे में नन्दा जी से पूछना चाहता हूँ कि जो बार बार जम्मू काश्मीर राज्य की धोर से श्रेष्ठ शब्दुल्ला को बुलाकर बात की जाती है इसका क्या कारण है? क्या वह काश्मीर राज्य का नुमायन्दा है या वहां के मुसलमानों का नुमायन्दा है या काश्मीर की सारी जनता का नुमायन्दा है। स्थिति यह है कि काश्मीर राज्य की कुल आबादी 35,50,976 है। इसमें से जम्मू में 15,72,887 लोग रहते हैं और 88,651 लोग लद्दाख में रहते हैं। इनमें से किसी का भी सम्बन्ध श्रेष्ठ शब्दुल्ला को प्राप्त नहीं है। शब्द रह जाती है काश्मीर घाटी जहां की आबादी 18,99,438 है। इन में भी सब श्रेष्ठ साहब के समर्थक हैं यह नहीं कहा जा सकता। तो जब श्रेष्ठ शब्दुल्ला की काश्मीर में कोई फालोइंग (यथापक्षपोषण) नहीं है तो फिर क्यों उसको बार बार बुलाकर उस का दिमाग बिगाड़ा जाता है और जम्मू काश्मीर की जनता के लिये स्थिरता का वातावरण पैदा किया जाता है। इस प्रकार की बात करके भारत सरकार फिर उसी तरह की गलती धाज करने जा रही है जैसी कि भारत विभाजन के समय उसने की थी। भारत विभाजन के समय कांग्रेस सरकार ने मुहम्मद अली जिन्ना को बगल में ले कर भारत का विभाजन कर लिया और मुहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों का नुमायन्दा स्वीकार कर लिया। उसका ही धाज यह नतीजा है, कि खान शब्दुल गफ्फार खां नाराज बैठा हुआ है और कहत है कि जब राष्ट्रीय मुसलमानों की ज़रूरत हुई तब तो हम को साथ लिया, लेकिन देश का विभाजन करते समय हमारा ध्यान

भी नहीं रखा। उसने हिन्दुस्तान का तब से नाम भी नहीं लिया है और उसी से वह धाज तक हिन्दुस्तान नहीं धाया। जो गलती उस समय की गई, वही हम फिर धाज करने जा रहे हैं। इस कारण जम्मू काश्मीर के मुसलमानों की स्थिति बड़ी ख़तरनाक हो रही है। धाज स्थिति वहां तक पहुंच गई है। एम० एल० ए०, एम० पी० पिट रहे हैं। बच्ची युसाम मुहम्मद, जो कि पहले प्रोईम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन के घर पर लोग चढ़ गये हैं। धाज वहां स्थिति यह है कि खुले धाम "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाए जाते हैं और दीवारों पर लिखे जाते हैं और जिन्ना और सदर अयूब की तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाता है।

अन्त में मैं दो तीन मुद्दा दे कर अपने बक्तब्य को समाप्त करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** धापने धाध धटे का समय ले लिया, शब्द बरत कीजिये। (Interruptions)

**श्री हुसैन खन् कक़बाय (देवा) :** जब सारा ही उस का रहा है तो धाप क्यों मना कर रहे हैं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मेरा पहला मुद्दा यह है कि भारत सरकार के सदस्य कब से जम्मू काश्मीर की जनता में धय और धाशंका ध्याप्त है और वहां की जनता में ही नहीं इस कारण हमारी जो सेनाएं वहां मोर्चों पर लगी हैं उनमें भी निरस्ताह बढ़ता जा रहा है। इसलिये सरकार को इस धारे में स्पष्ट धोषणा करनी चाहिये और वह धोषणा इन जर्नों में होनी चाहिये :

"हिमाचल धपनी जबह से हिम सकता है परन्तु जम्मू काश्मीर में

[श्री प्रकाशचंदर धामर्नी]

अब जनमत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, अब तो काश्मीर की केवल एक ही समस्या बेष है कि आजाद काश्मीर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी पुरानी घोषणा के अनुसार हमें दिलवाता है अथवा भारतीय सेनाओं को फिर एक बार कूब कर के अपना हिससा लेना पड़ेगा।"

दूसरे सरदार स्वर्ण सिंह जब झुट्टो से मुलाकात करने गये तो उन्होंने ऐसा कहा बताया जाता है कि कितना हिस्सा हमारे पास है हम रख लें और जो हिस्सा मुझारे पास है उस को तुम रख लो। मैं चाहूँगा कि मन्दा जी आज इस स्थिति का स्पष्टीकरण करें और बताएं कि सरकार स्वर्ण सिंह ने झुट्टो को इस प्रकार का कोई खचन नहीं दिया है और वह कहें कि उनके मन में इस प्रकार की कोई बात है भी नहीं, जिसके कि जम्मू काश्मीर की जनता के मन में कोई सन्देह और आशंका न रहे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्रेष्ठ अनुष्ठानों के साथ बातचीत करके उनके दिमाग को खराब न किया जाये और इस प्रकार जम्मू काश्मीर के राष्ट्रीय मुसलमानों का सम्मान न किया जाये। श्रेष्ठ अनुष्ठानों से बातचीत का दरवाजा बन्द किया जाए।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू काश्मीर भारत का उसी तरह का एक भाग है जैसे कन्याकुमारी तक का भारत। इसलिये भारत के अन्य भागों के नागरिकों को जम्मू काश्मीर में बसने की पूरी सुविधा दी जाये।

और मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि भारतीय संविधान की धारा 370 को समाप्त कर भारतीय संविधान की धारा 3 के भाग (क) के अनुसार सीमावर्ती

राज्यों की सुरक्षा के लिये और चाबी संकटों का व्यवस्थित सामना करने के लिये जम्मू, काश्मीर, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान को मिला कर एक विशाल सीमावर्ती राज्य बना दिया जाये।

इन सबों के साथ मैं इस विधेयक को उपस्थित करता हूँ और सरकार से इच्छा रखता हूँ कि आज वह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगी और इस बिल को स्वीकार करेगी और संविधान से इस कर्नाकित द्वारा को इटाएगी।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

There is a motion moved by Shri Sham Lal Saraf that the time allotted to this Bill may be extended. It is regarding increase in time. We have allotted two hours to this Bill. Will one more hour be enough?

Shri Sheo Narain (Bansl): It should be extended to 4 hours.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Four hours.

Some Hon. Members: Four hours.

Mr. Deputy-Speaker: The maximum we can give is 4 hours. We can give 2 hours more. So, it is 4 hours for this Bill. The Members may please take 7 to 8 minutes each because there is a large number of Members who want to speak on this Bill.

Shri Inder J. Malhotra (Nominated—Jammu and Kashmir): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I extend my whole-hearted support to the Bill moved by my hon. friend Mr. Shastri. Undoubtedly, he has taken this opportunity to focus the attention not only of this House but of the whole

country regarding this matter. I quite agree with Mr. Shastri that this article 370 of the Constitution be omitted.

In view of the present situation in the State, I would only request him one thing that we need not act in a hastily manner and we should not create this impression that so long as this article 370 exists in the Constitution, Jammu and Kashmir is not part and parcel of the country. I would not like this impression to be created not only in this part of the country but more especially in the State of Jammu and Kashmir. The people of the State have no special liking for this article 370 which exists in the Constitution and we shall be very happy as soon as this is omitted. Only say this that the omission of the article 370 should not be linked closely with the activities of Sheikh Abdullah in the State and the political situation prevailing in the State. Whatever we do with our Constitution, omissions or additions in the Constitution, we should not attach the same importance to this kind of legislation which we give to the political activities of Sheikh Abdullah.

I would very strongly plead with the Home Minister that now the time has come when the Central leaders and the Central Government have to change their approach and attitude towards Sheikh Abdullah. There is no doubt in this that one visit of Sheikh Abdullah to New Delhi creates a hundred and one problems especially in the Kashmir Valley. For, on the one side, the Central Government say that Jammu and Kashmir is as good a part of India as Punjab or Maharashtra or any other State is. In that case I would like to ask the hon. Home Minister why we should discuss the issue of accession with Sheikh Abdullah. He can discuss so many other aspects, for instance, about how to improve the relations between India and Pakistan. We have got no objection to that. We wish, more than Sheikh Abdullah himself, that the relations between India and Pakistan should improve.

But when you listen to Sheikh Saheb, when he challenges the very basis of the accession of Jammu and Kashmir with other parts of the country, that creates uncertainty and doubts not only in the minds of the Kashmiri Muslims but in the minds of the whole population, whether they are Hindus or Sikhs or Muslims, in the State of Jammu and Kashmir.

In conclusion, I would say that I give my wholehearted support to this Bill, and would request the hon. Home Minister that this Bill should not be opposed. If he is not ready at this time to accept it, he can give us an assurance that in the next session of Parliament or after six months Government would move the Bill and remove this article 370.

श्री जयदेवसिंह सिद्धास्ती (मजबूर) :

किलः करजात कालः पिबति घस्य रमम् ।

Shri Inder J. Malhotra: For, if the hon. Minister opposes this Bill, it will create misunderstandings in the minds of the people that Government are not prepared to omit article 370.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): As I rise to support the Bill moved so ably by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri, I have no desire to go into details of the background to the incorporation of this article in our Constitution.

Shri Prakash Vir Shastri has eloquently argued the case for the repeal or the abrogation of this article. I and my colleagues here that belong to my party have been raising this issue in this House since August, 1962, that is, for more than two years now. And may I, by your leave, read out brief excerpts from the proceedings of 6th September, 1962, when a former Member on this side of the House, Shri Tyagi, in the course of supplementaries to a question raised by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri, asked the then Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri as to whether there were any constitutional difficulties in the way of the integration of the State of Jammu and

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Kashmir with the rest of the Indian Union, and the Home Minister categorically said that there was no constitutional difficulty whatever. And he went on to say:

"But it is said there that we shall take different steps for integration in consultation with and with the approval of the Jammu and Kashmir Government. That stands".

The Home Minister gave a categorical assurance that that stood, and that they would take steps, and speedy steps for the integration of the State of Jammu and Kashmir with the rest of India, as far back as 1962. Since then, we have brought up this matter in 1963 and again in 1964.

A few days before the release of Sheikh Abdullah, when this matter was raised in this House, I believe the Home Minister, and the Minister Without Portfolio then, the former Home Minister and the present Home Minister both referred to this matter in their own way and promised the House that the article, if it was not going to be repealed immediately, would die a slow death of inanition or in other words, by erosion, and that promise, and that assurance was given further recently by the Education Minister when he was in Kashmir a couple of months ago; he referred to this article then, and he expressed himself in favour of the repeal or abrogation of this article and the complete integration of that State with the rest of the Indian Union.

So, I take that there is no division in the Cabinet or in the Congress Party or in this Parliament or in the country with regard to the repeal or abrogation of this article. The only difficulty that the Home Minister and the Government might plead is perhaps the timing when they should do it.

I ask the Home Minister in all earnestness whether it is not time to repeal an article which has been in the Constitution for more than four-

teen years. As you, Sir, would very well remember, it has been there in the Constitution since the 26th January, 1950. The then Minister Without Portfolio, and now the Prime Minister, told the House in January last that after the Hazratbal relic theft case, that unfortunate incident in Kashmir, the psychological repercussions of that event were so powerful and so great upon the people of Jammu and Kashmir that all the parties and all the people had come together, and there was common ground between them that this article must go and the State of Jammu and Kashmir should be fully integrated with the rest of the Indian Union. Various difficulties are presumed: they are not there, but they are presumed unfortunately.

Sheikh Abdullah, I am sorry to say, has completely resiled from the stand which he took when he was the Chief Minister or the Prime Minister of Jammu and Kashmir as he was called then and the stand that he took in the UN, and he has questioned the very basis of accession of Jammu and Kashmir. I join issue with him, and categorically asseart, I and the party to which I have the honour to belong assert that the issue of accession of that State is final and irrevocable and cannot be reopened. On that we are all agreed; this Parliament is agreed and the nation is agreed, and Sheikh Abdullah is nobody to question that fundamental stand of this Parliament and of the Indian Union that the accession of Jammu and Kashmir to India is final and irrevocable and shall not be reopened by anyone.

The question today, as brought up by Shri Prakash Vir Shastri, is a specific one namely that the article should be repealed, and that question of repeal or abrogation flows as a direct corollary from the stand that I hope that we all take unitedly that integration must come. That accession is irrevocable and that integration must come very speedily. If that is accepted, then there cannot be two opinions

on the question that the article must go.

I take my stand, so far as this article is concerned, on the firm base that now, Jammu and Kashmir State is suffering because this article is there, because difficulties are thereby created; if this article is repealed, the State will derive the same benefits as other States of the Union are deriving from their relationship with the Indian Union, and, therefore, it is from that point of view that Jammu and Kashmir should be as much a beneficiary of the relationship with the Indian Union as every other State, such as Mysore or Kerala or Bengal or Maharashtra or Madhya Pradesh is today; but unfortunately, today, Jammu and Kashmir is not a beneficiary of this relationship in the same way and to the same extent as other States.

The late Prime Minister, if I remember aright, about a month or so before he left us, said that he visualised in the near future—he was referring to the issue of accession, but he also added—a constitutional tie-up. I suppose that that was the phrase which he used, namely a constitutional tie-up between India and Pakistan. May I reinforce the sentiment that he expressed, and look forward to the day when India and Pakistan will enter into a true confederation in letter and spirit, but on the basic condition that the State of Jammu and Kashmir will form an integral part of the Indian Union in that Confederation? The Indian Union and Pakistan may enter into a confederation but the State of Jammu and Kashmir will form an integral and inseparable part of the Indian Union.

Shri Sham Lal Saraf: I wholeheartedly support the motion moved by my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri. Before I go into the legal and Constitutional aspects of this matter, I would like to relate a bit of the history that preceded our becoming part of the Union of India, after partition.

Prior to the attainment of freedom, all over the Congress had started a very great movement for the freedom of the country. But as far as the erstwhile States were concerned, at that time they were away from that movement because even Gandhiji and the Congress wanted that there should not be any direct movement against the rulers of the States in so far as the Congress was concerned. But this movement gave inspiration to many a State, particularly to the Jammu and Kashmir State where a national revolutionary movement grew. The result was that from the very inception, we had our connection with and drew inspiration from the Indian National Congress and its leaders, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and others.

I need not go into the details of what happened a little later. But one thing is relevant to mention. At the time when the forces of division were very stronger, and the British power was for the vivisection of India, when the Pakistan mentality was spreading day in and day out, it was Kashmir that stopped up against it, particularly the Muslim majority of that State. They stood up against the two-nation theory of Mr. Jinnah and against the vivisection of the country. So naturally, when the partition of the country was brought about, the people of the State who have followed the National Conference, in other words, the National Congress ideology, did not want to go over to Pakistan or subscribe to the two-nation theory of Mr. Jinnah. We all of us, out of our sweet will and with eyes open, joined with India and continue those relations. No doubt, as has been mentioned by Shri P. V. Shastri, the Instrument of Accession had to be signed by the ruler as was the case with other States elsewhere. At the same time, when the Maharaja acceded to the Union of India, the Government of India naturally wanted that his action should be backed by the people as a whole.

[Shri Sham Lal Saraf]

Constitutionally and legally, the State's accession to the Union of India signed by the Maharaja was complete and full. The main political party in the State known as the All Jammu and Kashmir National Conference had by their resolution signed by all the leaders, confirmed it.

Later on what happened in the Constituent Assembly has been related by Shri Shastri, how it was given a place in the Constitution and so on. I agree with him absolutely that things could have been settled then and there, but because of the conditions prevailing in that part of the country, because of the unprovoked aggression from Pakistan, because of the intrusion of raiders into the State, the Government of India did what any right-thinking person would have done. Therefore, the further process had to wait. The Constitution that was framed by the Constituent Assembly gave a little more room to the State to frame its own constitution. In 1956 the State Constituent Assembly finalised the constitution of the State, in accordance with the authority it derived from the Constitution adopted by the Constituent Assembly of India, earlier.

Originally, accession was confined to three subjects: defence, communications and foreign affairs. Later on, a number of other things followed from the accession that had taken place, with the result that when final constitution of the Jammu and Kashmir State was passed in 1956, the accession was full and final. There is a provision in that constitution to the effect that in no case in future this question shall ever be taken up again because our accession to India is irrevocable. This provision finds a place in the constitution. Therefore, the question of anybody from any quarter, any person, party or group from anywhere, seeking to reopen this issue of the accession of the State with the rest of the country does not arise and cannot be allowed to be raised. There is no scope for the matter being raised for a fresh agreement when already everything has

been done irrevocably.

As far as bringing the State at par with the rest of the country is concerned, there are certain considerations to be mentioned. Because of the mentality that preceded the partition of India,—I was also one of the signatories along with other colleagues in the State that wanted at least this much satisfaction that no law and no legislation be applied by the Central Government for other than the subjects in which the State had acceded; every other thing should be done according to the will of the people there. That has been followed all these years. In fact, certain other agreements were signed in the meantime. I have been a party to them also. I have referred to this once or twice in detail in this House. So I need not mention that now.

But one thing I would say very sincerely and honestly, that in these 17 years our State has suffered by not having been brought at par with the rest of the States in the country. Our people have suffered. Everybody has suffered. First of all, there was a sort of reservation which came into the minds of the people, which left room for other matters, desirable and undesirable, being imported into their minds. A number of things were done both within the State and outside the State, particularly from Pakistan. Throughout Pakistan's theme has only been this: 'You Kashmiris, particularly Kashmiri Muslims have gone over to India. Now their (India's) attempt will be to bring in non-Muslims into the State and convert the majority into a minority.' I would like to say with a full sense of responsibility that I have yet to find a responsible leader in the country, whether Hindu or Muslim, who has ever spoken in these terms.

By retaining art. 370, by not bringing the State at par with the States in the rest of the country, what has been happening? Firstly, there is a sort of insecurity in the minds of the people. Secondly—I will say this frankly—in certain cases local vested interests, some of them may have been

my colleagues—want to have the best of everything and want to take advantage of the present situation. Without bringing in any communal, sectarian or any other view into the matter, I will say that purely from the people's point of view, the people of the State have suffered. Once these barriers are removed, once they are allowed to function as any other part of the country, the people will very much benefit. Therefore, my submission is that this Bill has been brought before the House at the right time.

I do not agree with one or two points that were made by Shri Shastri. If we want the State to be at par with the rest of India, first let us do away with the insecurity prevailing in the minds of the people. Secondly, let us put an end to all the anti-Indian propaganda that is being carried on both inside the State and outside and from across the border.

15.30 hrs.

[SHRI SONAVANE in the Chair]

Let the people have the proper benefit of what flows from the Centre to the other States. As it is, the people suffer in a number of ways, for instance in getting scholarships, getting seats in colleges and universities in other places etc. Not only that. There is the non-application of the labour laws. In my State there are lakhs of people working in various forests handicrafts and factories, and all the beneficial laws that we have in the Centre, and which are applicable to the rest of the States, as Nandaji knows as ex-Labour Minister, should *apso facto* apply to that State also. I have myself been a small labour worker, and as Minister I was in charge of labour also, and I know the feelings of the workers in that State. Every time they say: why do you keep this wall of separation, let us also get the benefit as the rest of our countrymen. After all, in labour, where people work, there is no ques-

tion of caste, colour or religion. Therefore, it is equally important, and I would say forcefully that these things should apply there also.

I would also submit before this august House that as other units are today progressing, similarly Jammu and Kashmir also should progress. I do not however, agree with the proposal of the Mover that Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab should be formed into one State. I will give you the reasons. Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir are far behind Punjab. Punjab has progressed very much. There are reasons for it, they had a number of advantages. Keeping all that in view, I would say that Jammu and Kashmir should always be treated as a unit. Let it progress, go ahead, as a unit. Help her in whatever manner you can. No doubt, it is full of beautiful places; it has enough of industrial and mineral raw materials, enough of water and power potential, but being cut off, being a highly mountainous State, communications are poor, and it will take a lot of time for that State to develop. Therefore, it should develop, but let it develop as a unit.

My hon. friend referred to one of my erstwhile friends and State leaders, Sheikh Abdulla. I have spoken once or twice before also in detail about his own past utterances and what he says now. My hon. friend has referred to a paper known as *White Paper on Constitutional Relationship of Kashmir with India* issued by the Jammu and Kashmir Plebiscite Front, Srinagar. The Home Minister must have a copy, but I would like to pass on this copy to him. This book will corroborate word all that Shri Shastri has said about Sheikh Abdulla, his thinking, and the party he represents. Therefore, my submission is that in the State a sort of atmosphere is being created that is not at all congenial, pro-India and helpful; it is communal, I must say. But then, when the person comes

[Shri Sham Lal Saraf]

here, he tries to represent some ideology which seems to be progressive. I am not concerned with that, but I will certainly say that the law that this Parliament has passed to deal with anybody who talks about the secession of any part of the country, should apply to Jammu and Kashmir as well. I will tell you why.

There are three regions in our State—Ladakh, Jammu and the Kashmir valley. As far as area is concerned, Ladakh alone comprises three-fifths of the present area, but the population is only one lakh. Of this population, 65 to 70 per cent are Buddhists. Of the balance, more than one-fifth comprises of Jammu. Its population is 16 lakhs, out of which the non-Muslim population is about 70 per cent. Then comes Kashmir valley, whose area is less than one-fifth of the whole State, and its non-Muslim population is only 5 to 7 per cent. Keeping this in view, if this claim is put forth that because in a particular area there are people following a particular religion, it must go to Pakistan, one can say that they can lay claim, even on that basis, only to less than one-fifth of the area comprising the State. There can be no more claim so far as Pakistan or any other person who may advocate the cause of Pakistan is concerned.

As a consequence, certain things will crop up. In the whole of India, in a population of 45 crores, there is hardly a place where we have a Muslim majority. There is only one area known as Kashmir valley. I am very proud of this fact that the Muslim brethren of my State have always wanted to be secular. But if this claim is acknowledged in any quarter, especially in Government quarters, may I humbly ask what would happen to the country to which we have given a secular democracy and a secular Constitution? If a claim can be laid upon even a small part of the country that because there is Muslim majority it should go to a particular country, then the question will arise: what

is then the secular basis of our democracy and Constitution? It would open the floodgates of revolution, and I do not know what.

Apart from that, there are other reasons. We have been fighting China. The whole world shuddered to see China committing naked aggression on India. We fought them in Ladakh, we fought them in NEFA. For the time being I will forget NEFA, but of Ladakh I have personal knowledge.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** Why forget NEFA?

**Shri Sham Lal Saraf:** In Ladakh our jawans have done wonderfully well. We had made preparations for a number of years, and if China got some good beating, it got it there. So much preparation had been made. A minute ago I mentioned the composition of the population of Ladakh. So, if this claim is entertained in the least manner, it will mean that that area of Kashmir is disturbed as far as being a part of India is concerned. In that case who will fight in Ladakh? Because Kashmir Valley is the only access, by road, to the Ladakh areas.

I can give a number of other reasons. No leader in India can ever barter away the freedom of Jammu and Kashmir. I can say that with a full sense of responsibility. Therefore, my submission is that when we are convinced of this approach, we must have the courage to call a spade a spade.

Let the Government bring forward a proper Bill and have this article removed from the Constitution and give it a proper shape, giving Jammu and Kashmir a place, an honoured place, in the whole of the country. The people want it, everybody in the State wants it, every region wants it, apart from a few agitators who have become mostly professional because ears are being lent to them in certain quarters...

I therefore wholeheartedly support this Bill, but would submit that this may be accepted by the Government in principle, and that at the proper time, the sooner the better, they should bring forward a Bill and get this article removed from the Constitution.

**श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) :** सभापति महोदय, जो भाषण इस विषय पर यहां हुए हैं, वे काफी उत्साह बढाकर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी सरकार की नीति काश्मीर के बारे में क्या है ? शुरू से अन्त तक अगर हम काश्मीर के सवाल को देखें तो ऐसा लगता है कि काश्मीर के सवाल के बारे में हमेशा भारत सरकार गलत तरीके से काम लेती रही है और आज भी उसने चेतना नहीं उठाया है। आज भी उस पर कोई सोच विचार नहीं कर रही है।

अभी अविश्वास के प्रस्ताव पर तहस हो रही थी। हमारे कांग्रेस भाई खुद अपनी पीठ ठोके जा रहे थे। सारी दुनिया की समस्याओं का उन्होंने समाधान कर के रख दिया। हमारे अनुमन्त्री जी ने कहा कि हम ने कई मिनिस्ट्रों को खत्म कर दिया है, कुर्रशन को ढंटा दिया है। हमने बड़ी बापुरी दिखाई है और आसमान को उन्होंने सिर पर उठा लिया। मगर मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि काश्मीर के मामले में ही नहीं, तमाम जो हमारे सरहद के राष्ट्र हैं उन के बारे में आप की पूरी नीति गलत रही है और इस का नतीजा यह हो रहा है कि चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं।

काश्मीर के बारे में मैं नहीं समझ पाया कि राष्ट्र संघ में जाने की क्या जरूरत हुई। जब भारत सरकार राष्ट्र संघ में गई तो उसने इस बात की बहाना पर मांग की इतना बतलाओ कि पाकिस्तान हमलावर है या नहीं। मगर साम्राज्यवादियों ने कभी यह बात नहीं कही कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने और दूसरे लोगों ने बार बार इस बात को याद दिलाया कि हम इस बात के लिये प्राये हैं राष्ट्र संघ में कि आप बतलाइये कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया है या नहीं। मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सत्तर वर्षों में आप काश्मीर की जनता को सुखी नहीं बना सके। इस कारण उस के अन्दर अब जनमत संग्रह की बात हो रही है। जिस की वजह से आप को डर पैदा हो गया था म यह सवाल उठ रहा है कि काश्मीर के अन्दर रायशुमारी की जाय। क्यों अगर आप ने सही मानों में अच्छी नीति काश्मीर के बारे में अपनाई होती तो आज यह प्रश्न नहीं उठता। आज शेष अन्दुल्ला और दूसरे लोग जो भारत के शेष अन्दुल्ला हैं और हमारी भारत सरकार के दोस्त हैं, उन का नाम किसी ने नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण जैसे शेष अन्दुल्ला भारत में मौजूद हैं, राजगोपालाचारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। उनका नाम आप ने नहीं लिया। वे आप से रात दिन बातें करते हैं, मुलाकातें करते हैं और पूरे के पूरे देश को दुनिया की नजरों में बदनाम करते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** उन को बन्द कर देना चाहिये।

**श्री सरजू पांडेय :** आप उन को बन्द नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमजोरों को बन्द कर सकते हैं। मैं यह कह रहा था कि काश्मीर के बारे में भारत सरकार की नीति शुरू से लेकर अन्त तक गलत रही और राष्ट्र संघ जाने का कोई सवाल ही नहीं था। यह मामी हुई बात है और सब लोग, हिन्दुस्तान की जनता और सारी दुनिया जानती है कि अमरीका और ब्रटेन कहते थे कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। फिर भी आप उस पर आरोप किये हुए बैठे हैं। अगर कोई बात यहां कही जाती है तो सरकार की तरफ से का जाता है कि हमारे यहां प्रजातन्त्र है, अखमरी आई है, तो प्रजातन्त्र है, काश्मीर का मसला तय नहीं हुआ

[श्री सरजू पाण्डेय]

तो प्रजातंत्र है, कोई भी काम न हो सके तो प्रजातंत्र है, यह प्रजातंत्र क्या चीज है ? यह मेरी समझ में नहीं आता। कोई भी बात हो घ्राप दुनिया के सामने कुछ कर नहीं सकते। चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, किसी का भी मामला हो। हिन्दुस्तान के घ्रादमियों को घ्राप दबायेंगे लेकिन दूसरों की बात घ्राप पूछ भी नहीं सकते। काश्मीर के मामले में घ्राज 17 वर्ष बाद हिन्दुस्तान में बहस हो रही है कि वहां पर राय शुमारी हो या नहीं। घ्राज हिन्दुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि संविधान में संशोधन किया जाये या नहीं। किस ने मना कर रक्खा था, कि संशोधन न करें। मैं नहीं समझता कि कहां से भ्रइचन पड़ रही थी कि उस का संशोधन नहीं हुआ। घ्राखिर कौन सी ऐसी बात थी जिस से कि घ्राप काश्मीर की जनता को घ्राज इरतीनान नहीं दिला सके, और घ्राप की शालत यह हो रही है कि काश्मीर में सब कुछ हो रहा है जो हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में नहीं हो रहा है।

इस लिये मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक साफ नीति प्रपनानी चाहिये। बहुत से लोग घ्राज इस बात को उठाते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि काश्मीर में राय शुमारी होनी चाहिये। घ्राज कुछ लोग हिन्दुस्तान में और पाकिस्तान में हर जगह ऐसी बातें कहते हैं। कर्हें, और उन को हक है ऐसा कहने का, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर इतने दिनों बाद भारत सरकार के सामने क्या भ्रइचने हैं वह संविधान का संशोधन नहीं करती और काश्मीर भारत का अंग नहीं बनता, तो उस के सामने क्या परेजानियां हैं।

हमारी सरकार को घ्राज साफ तौर से कहना चाहिये कि हम राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और हमें उसका निर्णय मिलना चाहिये। धरभी

धरभी हमारा एक मिशन गया हुआ था राष्ट्र-मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में। वहां पर उस ने जो रवैया प्रपनाया उस से सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में हमारी नाक कटी। घ्राप ने जो कदम उठाया और हमारे बारे में वहां जो चर्चा उठाई गई उस से हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा गिर गई और हम चुप्पी साधे बैठे रहे और हिन्दुस्तान की मर्दादा ती रक्ता नहीं कर सके। घ्राज हमें ब्रिटेन, अमरीका और सारी दुनिया से कह देना चाहिये कि काश्मीर के मामले में दखल देने वाले तुम कोई नहीं हो। हमारे प्रतिनिधियों को वहां ऐलान करना चाहिये कि काश्मीर हिन्दुस्तान का भाग है और काश्मीर की जनता को हमारे साथ रहने का हक है। हम घ्राज कहते हैं, और यह हमारा बहुत पुराना नारा है कि जहां पर सभ्यता एक है, संस्कृति एक है, जहां भौगोलिक एरिया एक है, वहां हम भाषा के घ्राधार पर प्रान्तों का निर्माण कर दें। लेकिन घ्राप ने उन को नहीं बनाया। हमारी यह जानी मानी पालिसी रही है कि चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मजहब के घ्राधार पर नहीं, राष्ट्रीयता के घ्राधार पर प्रपने मुल्क के अन्दर प्रान्तों को पूरी घ्राजादी होनी चाहिये, मजहब की भी घ्राजादी होनी चाहिये, लेकिन 17 वर्षों के बाद भी घ्राप चुप चाप बैठे हुए हैं। एलेक्शन घ्रायेगा तो कर्हेंगे कि काश्मीर को हम को लेना है, एलेक्शन जब घ्रायेगा तो कर्हेंगे कि हमारे ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन जैसे ही एलेक्शन चला जाता है तो चुप हो जाते हैं। यहां पर जब कम्युनिस्टों ने कहा था कि तमाम पड़ोसी देशों से हमारे तास्लुकात भ्रइच्छे होने चाहियें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और हो तब घ्राप नाराज होते थे। लेकिन अब घ्राप के लोग वही बात कहते हैं, तो घ्राप कुछ नहीं कहते। घ्राज घ्राप के लोग कहते हैं कि घ्राक साइ चिन चीन को को दे दो, राजगोपालाचारी और

जयप्रकाश नारायण जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सुलह कर लो, काश्मीर वैली दे दो, तो आप की जवान बन्द है ।

इस लिये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप को कुछ करना है तो आज ठीक प्रस्ताव प्राया है । प्राणा तो इसको बहुत पहले चाहिये था, लेकिन आज ही सही । यह बिल्कुल तय बात है कि भारत सरकार को साफ साफ एलान करना चाहिये कि उस की काश्मीर की नीति क्या है । मैं शास्त्री जी से कहना चाहूँगा कि हालांकि वे लजायेंगे कि अगर आज सोवियट संघ न होता तो काश्मीर बच नहीं सकता था, और सारे देश में विश्वास उस के कारण उत्पन्न हो गया । जब जब काश्मीर का सबाल राष्ट्र संघ में गया तो सोवियट संघ ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर के काश्मीर की रक्षा की । इस बात को मानना चाहिये । आप के भरोसे उस की रक्षा नहीं हुई है । सोवियट संघ ने बड़ा भारी काम हमारे मुक्त के लिये किया है और हमारे देश की जनता में इस के लिये आस्था बनी है । उस की राज्य व्यवस्था के चाहे आप कितने ही क्लिष्ट हों, चाहे उसको जितनी गाली दें, लेकिन वह इसतलब बात है वहां क्या है और क्या नहीं है । यहां उसकी तारीफ करने की मुझे कोई खास जरूरत है । लेकिन आप के भरोसे नहीं सोवियट यूनियन के भरोसे सारा काम हुआ और उस ने काश्मीर को बचाया । एक बात का आप को एलान कर देना चाहिये और वहां की जनता में विश्वास पैदा करना चाहिये कि काश्मीर आप के साथ रहेगा और वहां पर अस्थिरता का जहां तक सम्बन्ध है, वह बहुत दिन तक कायम नहीं रहेगी । चर्चा आप वहां की स्थिति को सम्भाल नहीं सकेंगे ।

**Shri Hanumanthaiya** (Bangalore city): Sir, the Kashmir question has

been from the very beginning treated in a particular manner. I am going to place a different point of view before the Government today.

**Mr. Chairman:** The hon. Member will finish within 10 minutes.

**Shri Hanumanthaiya:** In 1949, I was in the Constituent Assembly of India. The Government of India appointed a Committee to frame a model constitution for Indian States. I was a Member. The other two members were Sir B. N. Rao and Mr. Govinda Menon, who was lately the Chief Minister of Travancore. The atmosphere then was such that no State wanted to become an integral part of India under one Constitution. Each Indian State, at any rate the bigger ones, wanted to be separate and wanted to have a separate Statehood, of course, within the federation of India. Ultimately, when we began this work, we wanted to frame a model Constitution for the Indian States to adopt. After a few months' time, we had decided that there need not be a separate Constitution for Indian States and that there should be one Constitution for the whole of India. We made that recommendation. When we, Members from Indian States, made that recommendation, Sardar Patel was very happy to accept it and it was done. The method adopted by the Constituent Assembly of India and the then leaders of the Government was to respect the opinion of the representatives of the people. That was not only a democratic way, but a safe way.

We have now found that the representatives of Kashmir in this House have enthusiastically sponsored the idea of deleting this article 370 of the Constitution, which in a way stands in the way of full integration. Many Members use language a little loosely. Today the constitutional position is that Kashmir is an integral part of India. There is no question about it.

[Shri Hanumanthaiya]

The present Bill seeks to eliminate a little differentiation that is being made under article 370. The representatives of the Kashmir people here agree and fully support this proposition. I would appeal to the Home Minister to look at this problem from the democratic point of view and accept it. Not merely Members of Parliament from Kashmir, but irrespective of parties, from the extreme right to the extreme left of this House as it is constituted, we are all of one opinion that this Bill should be made into law. To go against it or to say anything against this unanimous opinion of this House is to disown constitutional responsibility in a convenient manner.

Even if the top leadership is nervous about the opinion that exists in the west or east, they are not our masters. It is not they who have to dictate what is to be done by this Government. It is the responsibility of this House to direct this Government as to what to do and what not to do. If you escape from this responsibility, it will not be in the democratic tradition. Gandhiji used to say in the days of the British imperialism that even if we make mistakes, we want to have the freedom to make mistakes under a free Government. We did not want to be led by British imperialism along what they considered to be right lines. Therefore, I would appeal to this Government to see the force of this argument, not to be nervous about the world opinion or about the opinions expressed by U.K., U.S.A., Soviet Russia or any other power. From the very beginning, we have been caught on the horns of a dilemma, as it were. This Kashmir problem is being looked at from the point of view whether it would please the western powers or the eastern powers. We were non-aligned and therefore, we did not want to make up our minds definitely on this issue. We tried sometimes to please the western powers and sometimes to please the other powers. The eastern bloc or

the western bloc support a particular point of view not because they want to do good to India or to the people of Kashmir inherently. Once our late revered Jawaharlalji said that in the matter of foreign policy every nation acts on the basis of its own self-interest. Therefore, if the Western bloc acts in its own interest, there is nothing wrong in it. If the Soviet bloc acts in its own interest, there is nothing wrong in it either. Many a time we adopt the childish attitude of getting irritated by the opinion of either the Western or Soviet bloc. Usually it is the child that gets irritated. Look at Nasser. He took a determined stand on the issue of Suez Canal. He never bothered about the opinion of either the Western or Soviet bloc. He had the courage and determination to do what he thought right and he succeeded.

Here is a case where we could show equal determination and courage and solve the problem once and for all. Whatever may be our modesty, India is many times more stronger and more influential than other countries of the world excepting USA and Russia. But we are suffering from a complex, inferiority complex, may be inherited from the days of the British. We think that if some foreign powers dislike our stand we will be in trouble.

The governmental power must be operated with determination and courage, especially in foreign affairs. When the whole Indian nation and its representatives in Parliament ask Government to do a particular thing, if you exercise your personal authority or influence and do the contrary or delay that action, it is neither right nor just. This is the unanimous opinion of this House and it is applauded by the whole country. Therefore, I want the Government to take a determined stand and accept the principles of this Bill, either in the form of this Bill straightway or by agreeing to bring a Constitutional amendment Bill of their own.

I am grateful to Shri Prakash Vir Shastri for bringing forward this Bill. I have always admired his great speeches on many Bills. This is one such Bill which attracts the admiration of not only myself but of members from all sides of the House.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, काफी लोग चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सम्बन्ध सुघरें और मैं भी उन में से हूँ। लोगों का यह भी कहना है कि इन सम्बन्धों के बिगाड़ में काश्मीर एक बड़ा रोड़ा है। लेकिन इस रोड़े को अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर कोई कहे कि खाली पाकिस्तान की जनता ही काश्मीर को चाहती है और यह एकतरफा रोड़ा है तो वह खतरनाक बात होगी। यह दोतरफा रोड़ा है, पाकिस्तान की जनता जहाँ काश्मीर को चाहती है, वहाँ हिन्दुस्तान की जनता या उसका बहुत बड़ा हिस्सा काश्मीर के जाने पर गड़बड़ कर सकता है, शायद बगावत भी कर सकता है। तो यह दोरफा रोड़ा है और इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं बिनती कर्णांग कि राष्ट्रपति प्रयूब भी इस बात को समझें, और जहाँ तक यह सरकार का सवाल है वह कुछ लज है, उसके एक ही पैर नहीं दोनों पैर गायब हैं और इस लिए वह कोई न कोई सहारा ढूँढती रहती है। और अभी उसको सर्वोदय का सहारा मिला लेकिन मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि वह सर्वोदय भी टूटी लकड़ी है, इस से उसे सहारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि खाली किसी चीज को प्रचार कर देने से या एक तरफा बात कर देने से मामला हल नहीं हुआ करता। मैं याद दिला दूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री को कि डाकू-समस्या, जमीन समस्या, फिल्मों प्रश्लोष-पोस्टर्स की समस्या, कोई भी सर्वोदय ने हल नहीं कर पायी, सिवाय इसके कि कुछ हल्ला मचा। कहीं काश्मीर के मामले में भी यही न हो कर के रहे क्योंकि शास्त्री जी पहले भी कमबोर थे और अब पहले से ज्यादा कमबोर हैं। वे भी इस बात का समर्थन न कर

सकेंगे और अपनी किसी नीति को इतना अच्छा समझें कि उसको लागू करने के लिए हिन्दुस्तान में गड़बड़ या बगावत का सामना कर सकें। उनमें इतनी ताकत होती तो हम दूसरी तरह से सोच सकते थे। इसलिए सब से बड़ी बात यह है कि काश्मीर को छोड़ देना जहाँ प्रवाञ्छनीय है वहाँ यह भी समझ लो कि यह असम्भव है जब तक कि कुछ बातें पूरी न हो जायें और इसीलिये मैं इस दोतरफा रोड़े के बारे में कहना चाहूँगा। मेरा खुद का दिमाग लचीला है। अगर जो दोष या पाप सत्तरह साल पहले हुआ था हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का, दोनों जगह की जनता से, चाहे पूरा नहीं छोटा सा भी क्रम उठाया जा सके तो मामला सोचा जा सकता है और दिमाग में लचीलापन आ सकता है। दिमाग लचीला बनाना चाहिए। मैं भी लचीले दिमाग के हक में हूँ लेकिन लचीले दिमाग का मतलब यह नहीं होता कि एक जड़ता को छोड़ कर दूसरी जड़ता को पकड़ लिया जाय। एक तरफ जड़ बन जायें कि काश्मीर हम किसी हालत में छोड़ें नहीं और दूसरी तरफ जड़ बन जायें कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता सुधारने के लिए हम काश्मीर को छोड़ने को तैयार हैं। लचीला दिमाग बनाइये। लचीला दिमाग एक ही हो सकता है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का महासंघ बने तभी यह मसला हल किया जा सकता है और इस के ऊपर इधर, उधर बाध में कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वह काम है संघ बने। तब कुछ लोग कहते हैं कि पहले काश्मीर दे दो पाकिस्तान को तब पाकिस्तान की सरकार राजी हो जायेगी महासंघ बनाने के लिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो पहले और अबकी बात की करते हैं वे जानते नहीं कि अब यह मामला कितना बिगड़ा हुआ है। इस में तो बहुत कुछ गड़बड़ी की सम्भावना बढ़ जाती है।

रेलवे मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) बिना महासंघ बनाये ही कश्मीर को अपने पास रखने की ताकत होनी चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : डा० साहब, मैं महासंघ बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो 17 वर्ष पहले, शायद आप ने कम लेकिन आप के नेताओं ने पाप किया था और मैंने भी किसी हद तक उस पाप में हिस्सा लिया था, वह अपने जीवनकाल में खत्म हो सके तो बड़ा अच्छा होगा । जो लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रपति अयूब और पाकिस्तान की सरकार महासंघ के बारे में सोच विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं खाली यही कह देना चाहता हूँ कि सरकारों के सोच विचार के बाद भी किस भले आदमी को बहुत ज्यादा जड़ होकर खड़ा नहीं रहना चाहिए । सरकारें बदलती रहती हैं सरकारों के विचार बदलते रहते हैं इस लिये महासंघ वाला विचार यह एक सही विचार है इसमें एक बात मैं साफ़ कर दूँ । किसी भी हालत में महासंघ बनाने का जब हम विचार करते हैं तो बहुत कुछ देने को तैयार नहीं हैं, यह मान लेना चाहिए । पाकिस्तान यह कहता है कि नये महासंघ के संविधान में, दो में से राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री, दो में से एक, जब तक पाकिस्तान खुद न कहे कि इस अवस्था को बदल दो, पाकिस्तान ही रहेगा तो—मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हो जाऊँगा ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर पलटनी मामला, विदेशी नीति का मामला और आने जाने के मामले में सम्बन्ध रहे लेकिन नागरिकता के मामले में बिल्कुल पक्का सम्बन्ध रहना चाहिए, और महासंघ का विषय कम से कम ऐसा होना चाहिए नागरिकता का जैसे आज हिन्दुस्तान की नागरिकता और पाकिस्तान की नागरिकता अलग है तो यह एक नागरिकता हो जानी

चाहिए । इस पर मैं जोर दूँगा और बाकी चीजों के ऊपर बहुत ही ढीला ढाला महासंघ बनाने को तैयार रहेंगे ।

अब यही बात मैं अमरीका को और अमरीका के साथ बहुत हद तक रूस को भी कहना चाहता हूँ । अमरीका को खास तौर से इसलिए क्योंकि अमरीका ने बहुत ज्यादा दबाव डाला कि यह मसला हल होना चाहिए । मैं भी मानता हूँ कि यह मसला हल होना चाहिए । लेकिन किस तरीके से हल हो ? खाली यों ही एक इच्छा व्यक्त कर देने से, किसी मामले को अच्छे तरीके से अध्ययन किये बिना, खाली एक रास्ता बता देने से तो यह हल नहीं होगा । अमरीका के लोगों को भी सोच विचार करना चाहिए कि यह दो टूटे हुए इलाकों को जोड़ने से ही इस जगह का मामला ठीक ठाक चल सकेगा । मुझ से अमरीका वाले लोगों ने कहा कि क्या अमरीका की सरकार इस तरह का प्रभाव पाकिस्तान सरकार पर डाल सकती है ? पाकिस्तान वाले तो नाराज़ हो जायेंगे । अमरीका और पाकिस्तान का रिश्ता बिगड़ जायेगा । मैं मानता हूँ कि सरकार ऐसा दबाव नहीं डाला करती लेकिन क्या अमरीका में न जाने कितने नये नये विचारों के ऊपर प्रचार नहीं हुआ करता और जनमत नहीं बनाया जाता । खाली अमरीका का नहीं बल्कि दुनिया भर का ? इसलिए मैं अपील करूँगा ऐसे लोगों से, जैसे समझो राष्ट्रपति ट्रूमन, अब वे सरकारी नहीं हैं, राष्ट्रपति आइज़नहोवर, वह सरकारी नहीं हैं, वे लोग खुल कर बोल सकते हैं । उनके हाथ मुंह बंधे हुए नहीं हैं । ट्रूमन और आइज़नहोवर कभी इस महाद्वीप के एक होने की बात किसी न किसी रूप में सोचना शुरू करें और अगर उनके दिमाग में यह बात आये तो उस के बारे में बोलना भी शुरू करें ।

इसके साथ-साथ मैं ऐलसोप और एक दूसरे बड़े लेखक वाल्टर लिपमैन जो कि

बड़े लेखक हैं, अखबारों में जिनके लेखों से बड़ा असर पड़ता है, उन से भी मैं यह कहूंगा कि इस मसले पर सोच विचार करें। अगर सचमुच विश्व में शान्ति चाहते हो तो फिर जो 17 वर्ष पहले विश्व शान्ति के विगाड़ का एक बड़ा भारी कारण बन चुका है उसको दूर करने की कोशिश करो।

इस महासंघ की बात को कहते हुए मैं यह भी बतला दूँ कि मेरे पास कुछ चिट्ठियाँ आई हैं। आपको सुन कर आश्चर्य होगा, और पाकिस्तान से आई हैं मैंने तो सोचा था कि शायद पाकिस्तान के लोग अब हमारी बातें सुनने को हरगिज तैयार न हों, श्री श्यामलाल सराफ को मैं खास तौर पर सुनाना चाहता हूँ कि वहाँ से भी महासंघ को लेकर चिट्ठियाँ आई हैं, पक्ष में आई हैं। यह सही है कि जो शर्त उन्होंने रखी है वह शर्त ऐसी है कि उसको सुन कर आप दहल जायेंगे, मैं खुद भी दहल गया था थोड़ी देर के लिये लेकिन एक बात मार्क की है और वह यह है कि पाकिस्तान के एक नागरिक को कम से कम यह बात पसन्द तो आई। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम सच्चे आदमी हो तो मेरी यह राय भी मान लो तब मैं समझूंगा कि तुम महासंघ की बात ठीक समझते हो। इसलिए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री से अर्ज करूंगा कि अगर कुछ करना है तो उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचो। तब और अब वाला मामला सोचो मत। टूटी लकड़ियों का सहारा मत ढूँढो। इतनी हिम्मत आप में है नहीं, लोगों को उकसा देंगे, पाकिस्तान के लोगों और सरकार के मन में अगर यह भावना उकस गयी कि कश्मीर हमको मिलना चाहिए तो इसके कारण तो जो कोई गड़बड़ होगी उस गड़बड़ के लिए मैं जिम्मेदार इस सरकार को कहूंगा। उकसाओ मत लोगों को। अब अपने पैर तो आपके हैं नहीं इसलिए कैसे कहूँ कि अपने पैरों पर खड़े हूँ जिये लेकिन बुद्धि कोई ऐसी लकड़ी जो टूटी हुई न हो...

एक माननीय सदस्य : अपने पैर उधार दे दीजियेगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : पैर अगर उन्होंने मेरे ले लिये और दिमाग उनका ही रहेगा तो मामला बहुत गड़बड़ हो जायगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री राम सहाय पाण्डे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उपस्थित बिल का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार विशद ढंग से उन्होंने काश्मीर की समस्या को भारत की समस्या का रूप देकर आपके सामने विस्तृत विचार अपने प्रकट किये, मैं उस की भी प्रशंसा करता हूँ।

श्रीमन्, काश्मीर का इतिहास हमारा अपना इतिहास है। भौगोलिक दृष्टि से देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें, मानचित्र में उसके दर्शन करें, हमारा जो उसका एक पौराणिक, सनातन सम्बन्ध है, उसको भी आप देखें तो वह एक अविभाज्य अंग है हमारा जो हमसे कभी छुट नहीं सकता है। जहाँ तक उसका राजनीतिक सम्बन्ध है 20 अक्टूबर, 1947 के दिन काश्मीर के महाराजा ने रक्षा के लिए हमसे निवेदन किया था। उस समय महात्मा गांधी उपस्थित थे। उनके परामर्श और आज्ञा से हमारी फौजें वहाँ गयीं। यह हमारी बड़ी पुरानी परम्परा रही है और होनी भी चाहिए कि जब किसी ने त्राहि त्राहि की बात की, रक्षा की बात की तो हमने हमेशा उसकी रक्षा की। टेकनिकल और राजनीतिक दृष्टि से चूँकि वह हमारा अंग बन चुका था इसलिए हमने उसकी रक्षा की। महाराजा काश्मीर चूँकि उस समय काश्मीर के शासक थे, उन्होंने अस्तित्व गत्वा यह निर्णय किया कि हमारे साथ वह आये और हम से उन्होंने सहायता मांगी। हम सहर्ष उनकी सहायता को गये। इस काश्मीर के इतिहास में ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानी, हमारी फौजों की कुर्बानी, बर्फ की वह लड़ाई हमें कभी भूल नहीं सकती है। जनरल थिमैया ने यह कहा था कि सीज

[श्री राम सहाय पांडेय]

फायर ब्रीडर का कंसैट जो कि इम्पॉटेंट कंसैट था, वह हमारा नहीं था, अगर उस सीज फायर ब्रीडर के इम्पॉटेंट कंसैट को हम उस समय मंजूर न करते तो दो रोज के भीतर काश्मीर का वह हिस्सा जो कि हमसे चला गया था हम उसे फिर ले लेते। सिर्फ दो रोज की बात थी, लेकिन चूंकि वह एक बैनल-रूवामी मामला था, हमारा अन्तर्राष्ट्रीय मुकदमा दायर हो चुका था और सीज फायर का फ्रंसला हो चुका था, इसलिये हमारी फौजें भागे नहीं बढ़ सकीं। मैं समझता हूँ कि इतिहास में वह दिन बार-बार हमको याद दिलाता रहेगा कि अगर हम उस वक्त सीज-फायर स्वीकार न करते और भागे बढ़ जाते, तो दो रोज में काश्मीर का वह हिस्सा, जिसको आजकल सो-काल्ड प्राजायद काश्मीर कहा जाता है, हमारे हाथों में होता। जब वह हमारी सीमाओं में होता, हमारे पास शक्ति, भौगोलिक एकता, सत्ता और प्रभुता होती, तब चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मंच होता, य० एन० प्रो० होता और चाहे पंचायत करने वाले चौधरी होते, कौन सुनने वाला था।

काश्मीर का जो हिस्सा आज हमारे पास है, वह तो है ही, लेकिन आज जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जब तक वह हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक जहो-जहद चलेगी।

हम काश्मीर की मदद करने के लिए गए, यह बात टेक्निकल है, लेकिन बास्तब में हम अपनी मदद करने के लिए और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए गये। यह केवल महाराजा काश्मीर की बात नहीं थी, जिन्होंने हम से मदद मांगी थी, बल्कि— श्री श्यामलाल सराफ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिये—उस वक्त के काश्मीर के नेताओं, शेख अब्दुल्ला, बकशी गुलाम मुहम्मद, मसूदी, गुलाम मुहम्मद सादिक और पंडित श्यामलाल सराफ, ने हस्ताक्षर करके लिखा कि इस वक्त हम मुसीबत में हैं, हमारी रक्षा कीजिये।

देश के बंटवारे के बाद काश्मीर में जो मुसीबत आई और पाकिस्तान की फौजों ने वहां पर जिस बबरता का प्रदर्शन किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जहां यह बात कही जा सकती है कि महाराजा काश्मीर ने भारत में एक्सीड किया, वहां यह भी तथ्य है कि वहां के नेताओं ने अपनी जनता की तरफ से कहा कि हम तकलीफ में हैं, हमारी सहायता की जाये। जिस भारत मां का चित्र हमारे सामने है, जब उसके एक अंग पर धक्कण हुआ, तो हमारी फौजों का उसकी रक्षा के लिए जाना स्वाभाविक और अनिवार्य था।

श्री श्यामलाल सराफ : महाराजा भी आए, लेकिन जनता की तरफ से हम भी आए। इसका मतलब यह था कि महाराजा भी आए और जनता भी आई।

श्री राम सहाय पांडेय : वह केवल महाराजा काश्मीर की तरफ से एक्सेशन ही नहीं था, बल्कि आन विहाफ आफ बि पीपल भी लिख कर दिया गया था, जिस को हम ने माना।

जब हमारा मुकदमा य० एन० प्रो० में गया, तो उसने एक कमीशन यहां भेजा। उस कमीशन ने मुभायना करने के बाद, यहां की स्थिति समझने के बाद और पाकिस्तान के आक्रमण को अनधिकार चेष्टा कहने के बाद जनमत-संग्रह के सम्बन्ध में जो तीन चार शर्तें रखी थीं, अगर हम उन को समझ लें, तो हम किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसे ने कहा था कि जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वह काश्मीर के साथ मिलना चाहिए, जम्मू-काश्मीर की जो जनता इधर से उधर गई है, उस को रीहैबिलिटेड करना चाहिए, वहां से पाकिस्तान की फौजें हटनी चाहियें और उस के बाद पूरे काश्मीर के क्षेत्र पर जम्मू-काश्मीर के शासन का अधिकार होना चाहिए, वैसे कि पहले था।

में निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चार शर्तें पूरी होने के बाद हम जनमत-संग्रह की बात सोचेंगे। हम ने जनमत-संग्रह को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हम ने उस को नीति के रूप में स्वीकार किया। नीति कभी छोड़ी जाती है, कभी मोड़ी जाती है, और आवश्यकता होने पर कभी तोड़ी भी जाती है। नीति को छोड़ना, मोड़ना और तोड़ना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, सार्वभौमिक सिद्धान्त के रूप में हम ने स्वीकार किया है कि काश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है और यह सिद्धान्त कभी परिवर्तित नहीं होगा, इस विषय में हम बिल्कुल दृढ़ हैं।

शेख अब्दुल्ला के वे बयान आज भी ताजा हैं कि पाकिस्तान का हमला हम पर है। वह हमारी तरफ से य० एन० प्रो० में गए। उन्होंने हमारी जो हिमायत की, उस को याद कीजिए। लेकिन आज शेख अब्दुल्ला बदल गए हैं। वह आज कहते हैं कि हम ट्रिपार्टीट कॉन्फ्रेंस में बैठ कर काश्मीर के बारे में बात करें, हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती और मुहब्बत का जज्बा पैदा करें और काश्मीर के सवाल को हम लोग खुद हल करेंगे, बगैरह। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने पहले क्या कहा था? पहले उन्होंने कहा था कि काश्मीर का फैसला हो चुका है और अब दुनिया की कोई ताकत काश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।

जिस में रहने के बाद अगर शेख अब्दुल्ला के विचारों में यह परिवर्तन आ सकता है, तो हम ने क्या कुसूर किया है? जनमत-संग्रह के बारे में जो नीति हम ने अपनाई थी, आज भी हमारी वही नीति है। हमारा जो सिद्धान्त था कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, आज भी वह सिद्धान्त कायम है।

यह स्पष्ट है कि जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के बारे में हमारे देश की नीति और सिद्धान्त की बात आई, कुछ इस प्रकार का इम्प्रेशन, कुछ इस प्रकार की भावना बन गई है कि हम कुछ दुर्बल पड़ जाते हैं, नेगोशिएशन करने में, बातचीत और परामर्श करने में, लेने और देने में हम कुछ झुक जाते हैं। आज यह मौका है कि इस देश की सार्वभौम सत्ता और प्रभुता की नुमायंदगी करने वाली इस संसद में हमें दृढ़ता के साथ साफ़ कह देना चाहिए कि जहाँ तक काश्मीर का ताल्लुक है, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सूर्य इधर से उधर हो जाये, चाहे कुछ भी हो जाय। जिस के पास ताकत होती है, जिस के पास धाबाज होती है, जिस के पास संगठन होता है, न्याय हमेशा उस के साथ होता है। न्याय पाने के लिये भी हम को शक्ति, संगठन, प्रभुता और एकता चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नाम पर, न्याय के नाम पर, पहले हम ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, इस से प्रभावित हो कर अगर हम ने दुर्बलता की भावना दिखाई, तो उस के परिणाम भयंकर होंगे। राजनीति में सदैव यह बात स्वीकार की जाती है कि आज जो हम ने कहा है, यह आवश्यक नहीं है कि कल भी हम वही कहेंगे। जहाँ अपनी सीमाओं की सुरक्षा, भौगोलिक एकता और सोवियरेन्टी की बात है, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर सम्भव हुआ, तो हम समझौते के लिए तैयार होंगे, लेकिन सिद्धान्त में समझौता नहीं हो सकता है, नीति में समझौता हो सकता है। हम को यह बात बड़ी दृढ़ता और बड़ी सफ़ाई के साथ कहनी चाहिए कि काश्मीर हमारा अंग है और वह रहेगा, चाहे य० एन० प्रो० या सिक्यूरिटी काउंसिल कुछ भी करें।

इस सम्बन्ध में कस ने हमारी जो सहायता की है, उस के लिए हम उस को धन्यवाद देते हैं। इस बारे

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

में ब्रिटेन और अमरीका ने जो रुख अपनाया है, उस की हम कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। उन की "डिवाइड एंड रूल" की जो नीति है, वह निन्दनीय है।

श्री गोपालबल मैगी (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, ने जो बिल इस सदन में पेश किया है और अन्य माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं, उन के लिए मैं उन सब का आभारी हूँ। इतना ही नहीं, जम्मू-काश्मीर की सारी जनता भी उन की आभारी है, क्योंकि जम्मू-काश्मीर की जनता को आज भी बहुत मुसीबतों का सामना है, आज भी वह बहुत परेशानियों में है और जब उसे हिन्दुस्तान में कहीं हमदर्दी की आवाज सुनाई देती है, तो उसे हौसला मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है। इसलिए मैं दोबारा उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जोकि इस बिल के हक में बोले हैं।

लेकिन शास्त्री जी ने जो बिल पेश किया है उस के आशय का तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जिन अलफ्राज में वह बिल आया है, शायद उन का समर्थन मैं न कर सकूँ। उन्होंने कहा है कि दफा 370 की एब्रोगेशन की जाये, उस को हटा दिया जाये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1950 के बाद, जबकि दफा 370 बनी, इलैक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार-क्षेत्र काश्मीर तक कर दिया गया, काश्मीर का फ़िनांशल इन्टे-ग्रेशन भी हुआ और ये सब बातें दफा 370 के तहत हुईं। जब धाप 370 को एब्रोगेट करेंगे और उसकी जगह कोई मुनासिब एमेंडिड आर्टिकल नहीं लायेंगे तो उस रिलेशनशिप को धक्का लगेगा, उसको नुक्सान होगा जो रिश्ता 1950 से आज तक कायम हुआ है। मेरी धार्ज यह है कि दफा 370 को एब्रोगेट न किया जाय बल्कि उसकी जगह एक ऐसा

एमेंडमेंट लाया जाय जिस के तहत हिन्दुस्तान की जो कांस्टीट्यूशन है वह पूरी की पूरी वहां लागू हो जाय। असली बात यह है कि हिन्दुस्तान का आईन वहां लागू हो, सारी सुविधायें, सारे बनीफिट्स जोकि सेंटर की वजह से बाकी स्टेट्स को मिलते हैं वे जम्मू और काश्मीर स्टेट को भी हासिल हों। संविधान में कनकरेंट लिस्ट है जिस की वजह से बहुत से प्रोग्रेसिव लाज जोकि पार्लिमेंट बनाती है, लेबर लाज जो पार्लिमेंट बनाती है, वे लाज सोशल प्लानिंग के, इंडस्ट्रियल और लेबर डिसपूट्स के, सोशल इंश्योरेंस के, एम्प्लायमेंट, अनएम्प्लायमेंट के, जो पार्लिमेंट बनाती है, सब के सब, खुद-ब-खुद वहां भी लागू हों। जिस तरह से वे दूसरी स्टेट्स पर लागू होते हैं उसी तरह से वे जम्मू काश्मीर स्टेट पर भी लागू हों। वहां पर ये सब लागू नहीं होते हैं।

यहां पर 16वां एमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन का पास हुआ था जिस के तहत कोई भी आदमी हिन्दुस्तान से अलग होने का प्रचार नहीं कर सकता है। इस को कानूनी जुर्म करार दिया गया है। लेकिन काश्मीर में इस कानून को लागू नहीं किया गया है और जहां कोई ऐसा कानून नहीं है या ऐसा कोई तरमीम नहीं की गई है, जिस का असर इस तरह की चीज पर रोक लगाना हो। ये सब 370 दफा की लानतें हैं या बरकतें, मैं नहीं कह . . . . .

श्री इय्यामलाल सराफ : बरकत है।

श्री गोपाल बल मैगी : माननीय सदस्य जिन का मैं बहुत आदर करता हूँ कहते हैं कि यह 370 की बरकत है। लेकिन मेरी सोची समझी हुई राय यह है कि 370 दफा जम्मू काश्मीर के लिए हमेशा से लानत रही है। जिन्होंने इस दफा को बनाया उन के दिल में यह विश्वास था कि यह बरकत

साबित होगी, उन का विश्वास था कि इससे जम्मू तथा काश्मीर की जनता का भला होगा। लेकिन चौकंह बरस के बाद इस हाउस में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन पिछले चौदह बरसों में इस दफा की बजह से हम बाकी स्टेट्स से बहुत पिछड़ गये हैं। 'हिन्दुस्तान की स्टेट्स देश के मुक्तलिफ भंग हैं, उसी तरह से जिस तरह से शरीर के मुक्तलिफ भंग होते हैं। 370 दफा की बजह से भारत का वह भंग जिस को जम्मू काश्मीर कहा जाता है, सिकुड़ कर रह गया है, कमजोर हो कर रह गया है। यह न हिन्दुस्तान के लिए फुध की बात है और न ही जम्मू काश्मीर के लिए। न हिन्दुस्तान के लिए यह खुशगो की बात है और न ही जम्मू काश्मीर के लिए इस की बजह से एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई है और यह ताजा हवा, वह सेहत देने वाली हवा, वे प्रोप्रियेसिव लाज जो इस सबन में बनाये जाते हैं और जिन को बनाने में हम भी हिस्सा लेते हैं वे हमारे यहां लागू नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे कोई कह सकता है कि यह भले की बात है।

माननीय सदस्यों ने 1947 से ले कर आज तक के बाकात को, आज तक के इतिहास को दोहराया है। ये बाकात हिस्ट्री में मीजूद है। इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। जम्मू काश्मीर की जनता की जो प्रवस्था है, उससे मैं आपको प्रबगत कराना चाहता हूँ। उसकी प्रवस्था बाकी देश की प्रवस्था से पिछड़ी हुई है, वहां की जनता को प्रागे बढ़ाने के लिए, वहां की जनता की प्रवस्था को सुधारने के लिए, यह जरूरी है कि इस दीवार को असमार किया जाए, इस दीवार को गिरा दिया जाए। जब तक यह दीवार नहीं गिरेगी तब तक वहां की जनता का भला नहीं हो सकेगा।

इसे हटाने के लिए जहाँ पार्लियामेंट में काम किया जाए, वहां पर मुझे एक बात और कहनी है। प्रफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है

कि हिन्दुस्तान में कुछ लोगों के दिल में और वहां पर भी कुछ कुछ ऐसा क्या है कि हम हिन्दुस्तान की बाकी जनता के साथ पूरी तरह से नहीं हैं। मैं एक उदाहरण इस बारे में आपको देना चाहता हूँ। सिबाय जम्मू काश्मीर के कोई और हिन्दुस्तान का प्रान्त नहीं जहां पर कांग्रेस संस्था काम न करती हो। हर जगह कांग्रेस है, जम्मू काश्मीर में नहीं है। जम्मू प्रान्त की नेशनल कान्फेंस की प्राबिणल वकिंग कमेटी ने फैसला किया है कि वहां पर कांग्रेस की स्थापना की जाए। उस मीटिंग में सूबा जम्मू की नेशनल कान्फेंस के नेता शामिल थे, सूबा जम्मू की तरफ से एक मिनिस्टर जो इम वक्त कैबिनेट में है, वह भी शामिल थे, वकिंग कमेटी जो नेशनल कान्फेंस की है, उसमें जम्मू के मैम्बर भी शामिल थे, जम्मू की प्रसेम्बली के मैम्बर भी शामिल थे और उन्होंने यह फैसला किया कि वहां कांग्रेस की स्थापना की जाए। उसके बाद काश्मीर में एक कन्वेंशन होती है, काश्मीर के तमाम लैजिस्लेटिव, वकिंग कमेटी के मैम्बर और दूसरे कई लोग उस में शामिल होते हैं और वे भी फैसला करते हैं कि वहां कांग्रेस लाई जाए। उसके बाद नेशनल कान्फेंस की हाई कमांड मिलती है और वह भी फैसला करती है कि यहां कांग्रेस हाई कमान लाई जाए लेकिन इन के बावजूद भी आज तक वहां कांग्रेस नहीं, भाई है। हमें कहा जाता है कि वह प्रायेगी लेकिन कब तक यह कोई नहीं कहता। प्रसल में आपके जहनों में एक उन्नतन है, प्राय काश्मीर को पूरा तरह से भारत का एक भंग नहीं समझते हैं, उसको प्राय सूबा हुआ और सिकुड़ा हुआ रखना चाहते हैं। यह पोजीशन हम को मंजूर नहीं है। हम हिन्दुस्तान का पूरा भंग बनना चाहते हैं। हम हिन्दुस्तान की पोलिटिकल नाउठ में, सोशल लाइफ में पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके पूरे हिस्सेदार बनना चाहते हैं। यह जो रिजर्वेशन ने कर प्राय चलते हैं, इन्पे ट्रम को नुक्सान हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हिन्दुस्तान में जम्मू काश्मीर के

[श्री गोपाल दत्त मैंग:]

झलावा और भी कोई स्टेट है जहां पर रेलवे लाइन न गई हो, क्या और भी स्टेट है हिन्दुस्तान में जहां आज तक कोई केन्द्रीय सरकार का कारखाना न हो। जहां जहां पब्लिक प्रॉडक्ट्स हैं, उनको देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए एक पब्लिक प्रॉडक्ट्स कमेटी बनी है इस सदन की, लेकिन हमारे यहां तो कोई पब्लिक प्रॉडक्ट्स भी प्राप्रका नहीं है, जिस की पड़ताल यह कमेटी कर सके। इस तरह की कितनी ही बातें हैं जो मैं प्रॉज कर सकता हूं।

घापने जम्मू काश्मीर को अलग रखा है। मैं यहां पूरे बसूक से कहना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर अब अलग नहीं रहना चाहता है और उसे अलग रखने की कोशिश की गई तो वहां के लोग अपनी जानों पर खेल करके भी आपके साथी बनने की कोशिश करेंगे वे उस पोजिशन को स्वीकार नहीं करेंगे जो अब तक रही है। वे हिन्दुस्तान से अलग रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे

16.28 hrs.

[Mr. SPEAKER in the Chair]

अब बक्त आ गया है कि जम्मू काश्मीर के रहने वाले लोगों की सैकिड क्लास सिटिजनशिप को, सैकिड क्लास नागरिकता को खत्म किया जाए और हमें भी हिन्दुस्तान के फस्ट नागरिक बनाया जाए। स्पेशल स्टेट्स से किसी का, एक दो का फायदा चाहे हुआ हो लेकिन उसकी वजह से हमारा जो स्टेट्स है वह स्पेशल स्टेट्स नहीं बन जाता है, हमारा सैकिड क्लास स्टेट्स बनता है। हम उसे खत्म करना चाहते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में आज सुबह ही मीर कासिम साहब से जो नेशनल कान्फ्रेंस के जनरल सैक्रेटरी हैं, बतलषीत की

है। वह श्री सादिक जी वहां के मुख्य मंत्री हैं, उनके विश्वापात्र हैं, उनकी हमदर्दी हमारे साथ है। उन्होंने मुझे साफ अलफाज में कहा है कि उनकी तमामतर हमदर्दी इसके साथ है और वह चाहते हैं कि काश्मीर में हिन्दुस्तान का पूरा आईन लागू किया जाए। उसके लिए उन्होंने ने जो तरकीब बतायी वह मुझे बेहद पसन्द आयी और वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीगल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाए जो देखे कि किस तरह से संविधान की धारा 370 में प्रमेंडमेंट किया जाए कि हिन्दुस्तान का आईन पूरी तरह से जम्मू काश्मीर राज्य पर लागू हो सके हम को इस बारे में काश्मीर सरकार का और वहां की जनता का आश्वासन मिला हुआ है। भारत सरकार को इस तरह का कदम जल्द उठाना चाहिए।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशबीर शास्त्री सदन के सम्मुख जो विधेयक लाये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं।

यह तो पूरी तरह विदित है कि न केवल इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के हों, बल्कि हिन्दुस्तान के हर भाग के लोगों में आज यह भावना पूरी तरह जोर मार रही है कि काश्मीर को हिन्दुस्तान का अभिन्न भाग बना लिया जाये। हम लोगों की दृष्टि में तो वह अब भी हिन्दुस्तान का अभिन्न भाग है लेकिन हमारे कुछ बरताव के कारण लोगों के मन में अन्य भावना आज घर कर रही है। यह भावना उनके मन में भी फैलती जा रही है जो कि हमारे विपरीत है और उनके भी मन में जो कि हमारा

समर्पण करने वाले हैं। इस भावना को दूर किया जाना चाहिए। अभी पांच सात दिन पहले मैं तीन महीने के वाद बिदेश से धाया। मैं ने इंगलैंड में न केवल कंजरवेटिव पार्टी के सदस्यों में बल्कि वहां की लेबर पार्टी के सदस्यों के मन में भी यह भावना पायी कि हिन्दू माने हिन्दुस्तान और मुसलमान का अर्थ है पाकिस्तान, और चूकि काश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए उसे पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। जब मैं वहां पर था तो कानफरेंस चल रही थीं और मुझे लेबर पार्टी के सदस्यों से भी मिलने का अवसर मिला और उनके ये विचार जान कर मुझे महान दुःख हुआ। वह समझते हैं कि काश्मीर को हिन्दुस्तान का नहीं पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। और मेरी राय इस बारे में पक्की हो गयी कि अगर कोई इस बारे में सब से बड़ा सितार है तो वह ब्रिटेन है। जिसने अपनी पार्लियामेंट के कानून के अन्तर्गत हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनाया, जिसके कानून के अन्तर्गत दो राष्ट्रों की स्थापना हुई, जिसके कानून के अन्तर्गत हिन्दुस्तान में पांच सौ देशी रियासत मिलायी गयीं, आज उसी पार्लियामेंट के सदस्य कहते हैं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अंग नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसे मित्रों का साथ छोड़ दे जिनके मन में राम और बगल में छुरी हो। जिस मित्र देश ने कामनवैल्थ कानफरेंस में अपनी सारी परम्पराओं को तोड़ कर, सारे सिद्धान्तों को ताक पर रख कर काश्मीर के प्रश्न को कम्युनिके में शामिल किया, जिस मित्र देश ने इतनी हिम्मत नहीं की हमारे देश पर आक्रमण करने वाले चीन को आक्रमणकारी कहता, हम उसकी ओर न देखें और उसकी राय की परवाह न करें।

इंगलैंड के बाद मैं बुनिया के सब से बड़े डालर साम्राज्य अमरीका में गया। मैं समझता हूँ कि जो स्थिति वहां की है वह ब्रिटेन की स्थिति का विस्तार मात्र है।

वहां के लोग हिन्दुस्तान को स्नेक चारमर्स का देश समझते हैं, वहां के लोग हिन्दुस्तान के एस्टालाजर्स को जानते हैं और वहां के ताज महल को जानते हैं। वह वहां के बारे में और कुछ नहीं जानते हैं। हां, वह एक बात और जानते हैं कि काश्मीर को पाकिस्तान के पास जाना चाहिए, हिन्दुस्तान के पास नहीं जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनके सब से बड़े सलाहकार हमारे मित्र ब्रिटेन वाले हैं। इसलिए मैं भी आज यह समझता हूँ, जैसा कि मेरे भाई मंगी साहब ने कहा, कि इस धारणा का कारण हमारे विधान की धारा 370, जिसको हम ने काश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए रखा था। जैसा कि मंगी साहब ने कहा, इस धारा से उनको विशेष सुविधाएं नहीं मिलीं बल्कि नुकसान पहुंचा है। मेरा निवेदन है कि आज ही मंत्री महोदय को कहना चाहिए कि वे इस विधेयक के सिद्धान्त को मानते हैं, और आज नहीं तो अगले अधिवेशन में वे संशोधन लाकर इस धारा को संविधान में से हटा देंगे और उसके स्थान पर ऐसी धारा लावेंगे जिससे काश्मीर के लोगों को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें जो कि शेष भारत के लोगों को प्राप्त हैं।

आज तक हम इस धारा को क्यों नहीं हटा पाये, इसका कारण यह है कि हम अमरीका और ब्रिटेन की ओर देखते हैं। आज हम शेष अष्टुल्ला की ओर देख रहे हैं। आज वह बात इतिहास का अंग बन चुकी है कि शेष अष्टुल्ला ने बार बार हठार शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि काश्मीर ने अपनी किस्मत हिन्दुस्तान के साथ अंजुनी है। उन्होंने यह यूनाइटेड नेशन्स के सामने भी दुहराया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नुटेरा है, पाकिस्तान जालिम है, पाकिस्तान धर्मबाला राज्य है। लेकिन अगर आज शेष अष्टुल्ला बदल जाते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि काश्मीर के साथ हमारा सम्बन्ध टूट जाये।

[श्री भागवत झा प्राजाप]

उपाध्यक्ष महोदय, हैदराबाद के राजाकारों का नेता कासिम रिजवी भी यही कहता था कि हम अपना झंडा लाल किले पर फहरावेंगे और अब शेख अब्दुल्ला भी वैसी ही बात करने लगे हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कि चाहे हमारे देश के कुछ नेता शेख अब्दुल्ला को हिन्दुस्तान का मित्र समझते हों, लेकिन इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के अधिकांश लोग उनको देशद्रोही समझते हैं। अगर वह देशद्रोही नहीं हैं तो कैसे वे उस सन्धि से पीछे हट रहे हैं जिस पर काश्मीर के महाराजा ने हस्ताक्षर किये थे और जिन्से उस समय के प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला और मंत्री श्री शराफ सहमत थे। हिन्दुस्तान ने उस सन्धि के अन्तर्गत काश्मीर की पाकिस्तान के लुटेरों से उस समय रक्षा की जिस समय कि वे श्रीनगर के पांच सात मील पर पहुंच गये थे। आज हिन्दुस्तान की सरकार को इस बारे में अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। उसे किस का डर है। उसे ब्रिटेन की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। उस ब्रिटेन की जिसने कामन वेल्थ कानफरेंस में हमारे सबसे बड़े आक्रमण करने वाले चीन के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा और जिसने परम्परा के विरुद्ध जा कर काम वेल्थ कानफरेंस में जिस कामन वेल्थ कानफरेंस को जवाहर लाल जी ने प्रतिष्ठा प्रदान की, काश्मीर के झगड़े की बात को धाने दिया जो कि दो मित्र राष्ट्रों का आपसी मामला था। और उसका उल्लेख अपने कम्युनिके में किया। हम को अमरीका और ब्रिटेन की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम उनकी राय की तो परवाह करते हैं, लेकिन रूस की राय की परवाह नहीं करते जिसने बार बार सीक्योरिटी काउंसिल में अपने बीटो का हमारे पक्ष में उपयोग किया, जिसके प्रधान मंत्री श्री बुश्चेव ने कहा कि हिमालय के पार मेरा देश है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे तो उन पहलियों पर चढ़ कर पकड़ना, हम आ जायेंगे। आज हम

उस रूस के भरोसे नहीं हैं बल्कि उस ब्रिटेन के भरोसे जो सीटो, सेटो और नाटो के संगठन बना कर हम पर आक्रमण करने वाले पाकिस्तान की सहायता करता है। पाकिस्तान धर्म वाला राज्य है और रूढ़िवादी राज्य है और हिन्दुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आज हमारी सरकार को निडर हो कर काश्मीर के बारे में अपनी नीति की घोषणा करनी चाहिए, हिन्दुस्तान की जनता हिमालय पहाड़ की चोटियों के साथ, कन्याकुमारी तक, नर्मदा के तटों पर, गंगा की कल कल लहरों के साथ लाख गांवों के भारतीय काश्मीर को हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग देखना चाहते हैं और वह देख कर कहेंगे और अगर इस देश की कोई सल्तनत, कोई सरकार, कोई पार्टी इस के खिलाफ करना चाहेगी तो वैसा नहीं हो पावेगा।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी जो यह बिल सदन के सामने लाये उसके लिए वे बघाई के पात्र हैं।

आज प्रातःकाल जब मैं आ रहा था तो एक धारा 370 के सम्बन्ध में किताब मेरे पास थी। उस समय एक माननीय सदस्य ने मुझ देख कर कहा कि यह किताब क्यों ले जा रहे हो, यह सारा मामला तो अभी मैलिंग पाट में पड़ा है। जब हमारी यह मनोदशा हो जाये तो साफ जाहिर होता है कि इसका मुख्य कारण यह धारा 370 ही है।

आज कल जब से शेख अब्दुल्ला जेल से छूटे हैं और बाहर आये हैं, वे कई बार हमारे प्रधान मंत्री और श्री नन्दा जी से मिल चुके हैं। शेख अब्दुल्ला कहते कि वे ऐसा समझता चाहते हैं जिसमें हिन्दुस्तान का सिक्यूलरिज्म भी रहे, पाकिस्तान की बात भी रहे और काश्मीर की बात भी कायम रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि धारा 370 के रहते हुए भी तो काश्मीर भारत का अंग है। पर

शेख अब्दुल्ला कभी अपने प्राप को भारतीय नहीं मानते। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि वह भारतीय हैं। अगर वह अपने को भारतीय नहीं मानते तो सरकार क्यों उनसे बात करती है और उनको पाकिस्तान जाने की उसने इजाजत क्यों दी यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं कि भारत सरकार ऐसे लोगों को नेता मानने को तैयार है और उनके जरिये काम करवाना चाहती है। यह नपुंसक सरकार है और वह कभी कामयाब नहीं हो पायेगी।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि वे जो मीठी मीठी बातें हो रही हैं और जय प्रकाश जी गये हैं तो अच्छा है, भगवान करे कि उनको कामयाबी मिले। लेकिन हमें समस्या का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अगर यह कामयाब न हुए और अधिक उलझनें बढ़ीं तो उनका हमें क्या नतीजा भोगना पड़ेगा।

जैसा कि अभी हमारे अन्य सांसदों ने बतलाया काश्मीर घाटी को छोड़ कर, श्रीनगर को छोड़ कर, श्रीनगर के इर्दगिर्द को छोड़ कर, जम्मू व काश्मीर की बाकी भूमि जनता का दिमाग बहुत साफ है। वह तो इस तरह से सोचती है कि वे पिछले सत्तरह बर्ष से भारत के साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ अपना भाग्य जोड़ा हुआ है और उन्होंने ही भारत को अपनी रक्षा के हेतु बुलाया था इसलिए भारत के साथ उनका नाता घट्ट है और आज काश्मीर के भारत प्रवेश और यह 370 धारा का जो एक झगड़ा है वह उन की समझ में नहीं आता है और वे तो अपने को भारत में पूरी तरह से हमेशा के लिए मिला हुआ मानते हैं। लेकिन इस धारा 370 की बदौलत शेख अब्दुल्ला को यह हिम्मत होती है और श्री फारूक को यह हिम्मत होती है कि वह काश्मीर की घाटी में बैठ कर इस तरह से जनता को बरगलायें, उनको भ्रम में डालें और उन को सब प्रकार

से डरायें व धमकायें। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान बनने से पूर्व नार्थ वीस्टर्न फ्रंटियर प्रांविश में मुस्लिम लीग ने जनता में एक जहरीला प्रचार किया था और एक अर्थात् फैलाने की कोशिश की थी, जिस प्रकार से मुस्लिम लीग ने हिन्दुस्तान के अन्य बहुत से भागों में भी बड़ा जहरीला प्रचार किया था और एक अर्थात् फैलाया था और जो भी नेशनलिस्ट्स मुसलमान होते थे उन को वह दबाते थे, गालियां देते और धमकाते थे, वही दशा आज शेख अब्दुल्ला और फारूक और उन के समर्थक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक है कि काश्मीर में हमारे साक्षिक साहब के हाथ में शासन की बागडोर है लेकिन यह खेच का विषय है कि नेशनल कांग्रेस आज करीब मृतप्रायः सी हो गयी है। अब फिर उस को रिवाइव करने की बात की जा रही है या जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ कांग्रेस जाये। मैं उस में अभी नहीं जाऊंगा। हालांकि जाना चाहिए था। अब क्या मामला उन का है वह एक अलग बात है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर भ्रम जनता में इस तरह का एक जहरीला और बरगलाने वाला प्रचार चल रहा है और उन को हर प्रकार से डराया व धमकाया जा रहा है। पार्लियामेंट के मੈम्बरों को पीटने की कोशिश की जाय, एम० एस० एज० को पीटने की कोशिश की जाय और शेख अब्दुल्ला और फारूक सरीखे देशद्रोही लोगों को नेता माना जाय यह शर्म की बात है। उन के धादमी यह हरकतें करें और हम यहाँ उन को नेता मानें यह इस धारा 370 का नतीजा है।

मेरे कुछ साथी कहते हैं काश्मीर से कि उनको धारा 370 से बड़ा नुकसान हुआ लेकिन मैं कहता हूँ कि काश्मीर हमारे भारत देश का एक अविभाज्य अंग है और इसलिए सारे देश को नुकसान हुआ। सारा देश परेशान है इसलिए जितनी जल्दी आप इस धारा 370 को समाप्त कर देंगे उतनी जल्दी ही यह एक

[श्री काशी राम गुप्त]

अनिश्चितता समाप्त हो जायेगी। कानूनन प्राप्त इसे कर सकते हैं। अब कौन सा तरीका इस को समाप्त करने का है उस की तफ़्सील में हमारे जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। ज़रूरत तो इस बात को स्वीकार करने की है कि यह धारा 370 हटाई जाये। श्री प्रकाशवीर शास्त्री का अपने इस संविधान (संशोधन) बिल को लाने का जो मूल उद्देश्य है उसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए, बाकी शर्तों में झगड़ा करना बेकार है। उस का जो तात्पर्य है उस को यदि हम मान कर इस दफ़ा को समाप्त करने का काम करते हैं तो एक सही और स्वागत योग्य कदम उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर का इस प्रकार से इतना छोटा दायरा बना दिया गया आखिर उस का कारण क्या है? उस का कारण यह है कि शेख़ अब्दुल्ला समझते हैं और वह आज भी इस की हिम्मत करते हैं कि वहाँ के मुसलमानों को किसी तरह से बरगला व डरा धमका कर अपने साथ ले लें। शेख़ साहब भारत सरकार के साथ उसकी सैकुलरिज्म की बात करते हैं और उस की दुहाई देते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सैकुलरिज्म सिबाय यहाँ भारत के और रह ही कहाँ गयी है? अगर हम ने सैकुलरिज्म न बर्ती होती तो वहाँ काश्मीर में बहु से हिन्दू ही होते और उस हालत में जनमत संग्रह का वहाँ पर क्या प्रश्न उठ सकता था? दरअसल ऐसे लोग इस तरह की बातें कर के और हम हिन्दुस्तानियों को एक खिलौना बना कर अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करते हैं। आज श्री शेख़ अब्दुल्ला व श्री फारूख़ ने काश्मीर में मुसलमानों को जनमत संग्रह का नारा लगा कर बरगलाने की हिम्मत की है। यह दुःसाहस वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने यह दुःसाहस किया है और अहं उसको बेटापुरी की बात मानते हैं और दुर्भाग्य तो यह है कि उस के उस दुःसाहस को हमारे कुछ लोग सही मान लेते हैं। जो दुःसाहस शेख़ अब्दुल्ला कर रहे हैं उस का मुकाबला करने के लिए आवश्यक यह है कि

हम धारा 370 को हटायें और साथ ही वहाँ जाकर हम अपने साथियों को जो कि अभी भी उन के जहरीले प्रचार के खिलाफ़ हैं उनको मजबूत बनायें ताकि वे फिर से एक ताकत के साथ ग्राम मुसलमानों में जाकर काम करें, उनको वास्तविकता समझायें और उनको उस ख़हर से जो वहाँ उन में भरने की कोशिश की जा रही है उस से बचायें। हम को दुबारा फिर उन अपने साथियों को वहाँ पर मजबूत करना होगा और उन के साथ बैठ कर जनता में काम करना होगा। यह ठीक है कि अभी वह जहरीला प्रचार श्रीनगर की घाटी के शहरी इलाक़े में ही थोड़ा बहुत फैला हुआ है लेकिन अगर उनको रोका नहीं गया, उनका राजनीतिक स्तर पर भी मुकाबला न किया गया और उन को यह हरकतें करने दी गईं तो वह जहर गांवों में भी फैल जायेगा और फिर स्थिति को सम्हालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि न केवल धारा 370 को हटाना आवश्यक है अपितु यह भी ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ जा कर, सरकार की तरफ़ से भी और जनता के जो नमायन्दे हैं वे वहाँ पर जायं और स्थानीय अपने साथियों के हाथ मजबूत करें और इसको देखें कि किस तरीक़े से शेख़ व फारूख़ हमारे उन साथियों को डराने व पीटने की हिम्मत करते हैं। ग्राम जनता में वे जो ख़हर फैलाते हैं उस का भी हमें मुकाबला करना होगा।

डा० लोहिया जी ने कहा कि जनता के प्राधार पर हमें कुछ करना चाहिए। अब अगर हम जनता के प्राधार पर करने को बोलते हैं तो हमें जनता में काम करना पड़ेगा। केवल भाषण से या केवल खबर भेज कर व विदेशों की बात कहने से वह काम नहीं हो जाता है। डा० साहब तो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं अर्थात् हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का एक महासंघ बनाने की बात वे करते हैं अब वह तो एक मुश्किल बात है लेकिन धारा 370 को हटाने के लिए भी यह ज़रूरी हो गया है कि वह जनता में जाकर प्रचार करे और उस जहरीले प्रचार

को जो कि आज जनता में किया जा रहा है उसको जड़ से समाप्त करें। सरकार को इस बिल के मसिबे के मूल भाषाय को ध्यान में रख कर जल्द से जल्द इसे मान लेना चाहिए और उस के साथ ही साथ जैसा मैं ने कहा हमें वहां जनता में जाकर काम करना चाहिए। जो बहानों के लोगों की तकलीफें हैं और उनको लेकर जो कुछ लोग उनमें एक बग़ावत की भावना भरने की कोशिश कर रहे हैं उन का मुकाबला करना चाहिए।

रैलिक का कश्मीर में जो मामला चला था मुहम्मद के पवित्र बालों की चोरी का जो मामला चला था उस केस को ख़त समाप्त करने का फैसला हो गया है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी उकरी है कि हम वहाँ के मुकामी लोगों को समझाएँ कि उनका हित भारत के साथ भ्रपना नाता बनाये रखने में ही है और जो भी देशद्रोही तत्व वहाँ जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं उनका मुकाबला करें और ऐसे लोगों को भ्रपना दुश्मन मानें।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):  
Mr. Deputy-Speaker, Sir, our Constitution is thought to be one of the most progressive documents in this world and everybody thinks that this Constitution can be a model for other countries to follow; but when I read this article, No. 370, I come to the conclusion that our Constitution is disfigured by this article which is nothing but a kind of a constitutional anachronism.

Here we are told about the Maharaja of Jammu and Kashmir. Where is the Maharaja of Jammu and Kashmir? There is no Maharaja of Jammu and Kashmir. We have the Sadr-i-Riyasat now, who is elected; but here we are told about something which existed many years ago. Again, we are told about other things which are no longer there, for example, Domi-

nion of India. Which Dominion of India? We have a Sovereign, independent Republic of India; yet, this article refers to something which might have existed at one time but which is no longer there.

Apart from what Shri Prakash Vir Shastri has said, with which I am almost in full agreement, I say that for the good name of India, for the constitutional propriety of India, for the legal correctness of this country, this article should be scrapped forthwith without any hesitation, without any doubt. It is because this article refers to those conditions which no longer exist, which are not operative now. Therefore, this constitutional impropriety which is embedded in this article No. 370, must go.

My second point is that though I endorse what Shri Prakash Vir Shastri has said, I would be the last person to say that Kashmir, Rajasthan, Himachal and Punjab should form a kind of a zone or a kind of composite State. I am against that. I think, Jammu and Kashmir has a personality of its own—a unique personality, a personality recognised all over the world—and I think it should be our duty to keep that personality intact, to make that personality grow and develop, and come to its own on account of other things. Therefore, I do not support that part of his speech.

My third point is that wisdom consists in settling unsettled things. The act of statesmanship is an act of boldness, firmness and decisiveness. But I do not know what has happened to my country that instead of settling unsettled things we have unsettled settled things.

Take that case which we had here. I say with a due sense of responsibility that we made a mockery of our judicial system when we released Sheikh Abdullah. Our judicial system stood condemned in the eyes of the whole world. Of course, I am

[Shri D. C. Sharma]

not talking of the merits of the case. But that is what happened. I think it was done perhaps with the best of motives. But after he had been released, what justification was there to lionise that man? What Jinnah could not do, what Mahatma Gandhi could not do, what Jawaharlal Nehru could not do, what Sardar Patel could not do, Sheikh Abdullah would do! What was that? He could bring about confederation between India and Pakistan! I cannot understand what wisdom lies in this that Sheikh Abdullah was thought to be a super human being who could achieve what nobody else could achieve. That was the third mistake that we made.

The fourth mistake that we made was this that we sent Sheikh Abdullah as an emissary to Pakistan to bring about better relations between us and Pakistan. Of course, other persons are also going. I ask only one question: How can you send a man as an emissary of our country to bring about better relations between this and that country who does not believe in our country, who thinks that he is not a citizen of India, who wants to see that Kashmir goes away from India? That was the fourth mistake that we made.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): He was not sent by the Government.

Shri D. C. Sharma: Anyhow, he was given the passport and other things. He went with our blessings.

Then, another point that I want to make is this. Somebody talked about tripartite discussions in order to bring about this. They do not know the facts. When Sheikh Abdullah addressed a meeting at Rawalpindi, the President of that meeting said, "We do not want a tripartite agreement. We want a quadripartite agreement, that is, agreement between India and Pakistan and Kashmir and China also to determine the fate of Kashmir." So, that was another mistake that we

made. And now we are reaping, what I must say, a kind of whirlwind and that whirlwind is doing a lot of harm to the minds and hearts of the people of Jammu and Kashmir. I agree with my hon. friends Mr. Mengi and Mr. Malhotra that the heart of Jammu and Kashmir is sound. But I ask you one question: How long can a heart withstand such an onslaught, emotional, constitutional, financial and otherwise? No heart can remain sound under this kind of stress. Therefore, I believe, that wisdom consists in this that we should try to put an end to this kind of drama which has been going on between India and Sheikh Abdullah, to this kind of negotiations which have been going on between him and our country. He is not a friend of our country because he says that the question of accession is not final and not irrevocable; he says that the question of accession was temporary and transitional. That is what we find. Can anybody eat his own words? Can anybody go back upon what he had said? Can anybody who does so, speak now in the name of those persons whom he represented at one time and in whose name he signed all this? I think that if one were to go into the history of Sheikh Abdullah, one would find that the history of that gentleman is strewn with broken pledges, words which have been taken out of their context and it is also a series of deeds which I should say were very good at one time but which do not bring any good now.

I would submit very humbly that we are the friends of Jammu and Kashmir. They are our brothers. They are part and parcel of us. They are the flesh of our flesh, the blood of our blood and the bone of our bone. Their connection with us is inseparable and indissoluble. But I would ask Government not to play with them any more. We have been playing with them for a very long time, and we have been trying to give them all kinds of impressions; I think that the best thing is that we tell them now that Sheikh Abdullah or no Sheikh

Abdullah, Britain or no Britain, America or no America, we stand by them, and that whatever may have happened, we shall not go back upon it. I think that the only thing that we have got to do is this that we must tell them in decisive words what we have in our hearts. The difficulty is this that I have something in my heart, but I say something different with my tongue and there lies the confusion. Therefore, I believe that we should speak out what is in our hearts, decisively.

People have been talking about plebiscite. I do not want to go into the merits of the case, but I must make clear one thing. Anybody who has read the proceedings in the Security Council and read the speeches of my hon. friend the Education Minister, Shri M. C. Chagla will realise whether the people of Jammu and Kashmir stand by what Shri M. C. Chagla has said or what Sheikh Abdullah has said. I am sure, and I dare say that the people of Jammu and Kashmir, and everyone of them, would stand by Shri M. C. Chagla and not by Sheikh Abdullah. These who have read the speeches will think that the ghost of plebiscite cannot be brought into life now, that the ghost had been buried thousands of feet below the sea, and no naval operation could bring it back. It is dead and buried.

Therefore, I feel that we should try to put an end to all these spe-

culations and all those things which take away from the people of Jammu and Kashmir that sense of security which we gave them when Jammu and Kashmir was invaded by the bandits from the North-West Frontier Province when the lives of its people and the honour of its women folk were in danger. Let us give them back that security, and I think that if we take away article 370 and give them full sense of security and give them full recognition, they will be satisfied.

My hon. friend Shri Gopal Datt Mengi has said that article 370 is a wall. I would say that it is not a wall. If it were a wall, I could demolish the wall easily and in no time. It is not a wall, but it is a big mountain which stands between India and Jammu and Kashmir. Although we have dug the Banihal tunnel and we have done everything else, we have not demolished this mountain yet; I feel that this mountain should be blasted with dynamite, with the dynamite of good-will, firmness and decision. That way lies the salvation of India and that way lies the good and welfare of the people of Jammu and Kashmir.

17 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, September 14, 1964/Bhadra 23, 1886 (Saka).*